# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

## राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक सत्र की कार्यवाही

### अठारहवीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—२४ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज दिनांक २४ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर, में ८-४५ बजे प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

### सदन में आसनों के सम्बंध में वाद विवाद।

श्री गोपीलाल यादवः—यह एक रूल है और यहीं नहीं बल्कि सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी सपोर्टर्स हैं एक तरफ बैठते हैं और ओपोजिशन (विरोधी दल) वाले दूसरी ओर। मगर आज, जब कि ओपोजिशन के सदस्य नहीं आये हैं उनके स्थान पर गवर्नमेंट की तरफ के सदस्य बैठे हैं। क्या उनके इस प्रकार बैठने से यह अर्थ लगावें कि आज से वे ओपोजिशन में आ गये और गवर्नमेंट को मदद करना नहीं चाहते। यदि वे गवर्नमेंट को मदद करना चाहते हैं तो उसी तरफ उन्हें बैठना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुरः—As a matter of fact no official order has been issued, in onnection with the allotment of seats in this House. Every member has got a right to sit anywhere in the House. Accordingly to take advantage of the vacant seats we have done so.

श्री कपिलदेवः—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र ने जो अभी आपत्ति उठाई है उसके संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि विरोधी दल की बैठकें खाली पड़ी हैं और यदि बेंच खाली रहे तो हमको बैठने की कोशिश करनी चाहिये। अगर विरोधी दल के आदमी फिर यहां आ जावें तो जगह छोड़ कर चले जावेंगे।

श्री गोपीलाल यादवः—क्योंकि आज ओपोजिशन के आदमी ज्यादा नहीं हैं इसलिये मुझे एक दफे से ज्यादा बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप इजाजत दें तो म कुछ निवेदन करूं।

माननीय अध्यक्ष:—कहिये ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो उधर बैठे हैं इधर भी बैठ सकते हैं और इधर बैठने वाले उधर भी बैठ सकते हैं क्योंकि कोई सीट मुकर्रर नहीं हुई हैं । मगर जिन सीटों पर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन सीटों पर लीडर ओफ ओपोजिशन वैठते हैं और हाउस में वे सीटें उन्हीं के लिये हैं । राइट की तरफ लीडर ओफ दी हाउस और लेफ्ट की तरफ लीडर ओफ ओपोजिशन बैठा करते हैं । इसलिये मैं, इस संबंध में आपका रूलिंग चाहता हूं ताकि इससे पब्लिक को धोखा न हो जाए । अभी जो लोग यहां गेलेरी में आये हुए ह वे लोग ओपोजिशन के धोखे में न रह जावें । मैंने जो अभी बतला दिया इससे उन लोगों को मालूम हो गया वरना वे धोखे में ही रह जाते । इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक गेलेरी के लोगों को धोखे में रखने के लिये हमारे माननीय सदस्य इधर बैठे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास:—जैसा कि मेरे मित्र ने अभी अर्ज किया, इस संबंध में मैं यह अर्ज करूंगा कि कोई ओफिस ओर्डर नहीं है कि कोई सदस्य किसी निश्चित सीट पर बैठें और इसके लिये कोई सीट एलोट भी नहीं हैं; यह माननीय सदस्य भूल रहे हैं । इसलिये खाली सीट पर कहीं भी कोई सदस्य बैठ सकते हैं । इसलिये मैं अपने मित्र के ओब्जेक्शन को ठीक नहीं समझता ।

श्री किशनलाल शाह:—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीटों का एलोटमेन्ट नहीं हुआ है । इसलिये आपसे इस सम्बन्ध में हम रूलिंग चाहते हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम हुआ है अभी तक सीटों का एलोटमेन्ट नहीं हुआ है और ओपोजीशन के लोग यहां पर हैं; नहीं इसलिये उस समय तक के लिये वे बैठे रहें तो मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इसके अलावा इसमें भी सन्देह नहीं कि इस पक्ष के इतने सदस्य हैं कि उनके लिये पूरी सीटें नहीं हैं, कम हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं (चीअर्स) और हर हालत में जो सीटें एलोट हैं उनसे काम नहीं चलेगा और सीटें एलोट करनी होंगी । फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी · · · · · · · · ·

श्री गोपीलाल यादव:-ओन दी पोइन्ट ओफ इनफोरमेशन सर, अभी भी उधर करीब २० से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं ।

माननीय अध्यक्ष:—यू प्रेस फोर रूलिंग ।

श्री गोपीलाल यादव:-Yes Sir, I press for ruling.

माननीय अध्यक्ष:-गवर्नमेन्ट बेंचेज के आदमी या एक भी आदमी उन ओपोजिशन सीटों पर नहीं बैठ सकेंगे जिन पर ओपोजिशन के लीडर और डिप्टी लीडर बैठते हैं।

माननीय अध्यक्ष:-कल आपत्ति उठाई गई थी कि धारा ८१ के अन्तर्गत किसी बिल के इन्ट्रोड्यूस (पुर: स्थापित) होने के बाद गजट में प्रकाशन होना आवश्यक है और जब तक विधेयक गजट में प्रकाशित न हो कंसीडरेशन (विचारार्थ) के लिये नहीं लिया जा सकता। इसके लिये मेरा यह मत है कि धारा ८२ के अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्यों के पास इस बिल की कोपी कंसीडरेशन स्टेज पर आने से तीन रोज पहले पहुंच जानी चाहिये और इस बिल के गजट में पूर्व प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद हम इन बिलों को विचारार्थ लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर:—I can see, Sir, that some members of the opposition party are peeping through the lobbies.

माननीय अध्यक्ष:-I think some of you should induce them to come in the house.

### राजस्थान अकाल कार्यवाहियें स्थगित करने का विधेयक

माननीय मोहनलाल सुखाड़िया:—Speaker, Sir, I beg to move that the bill to provide for the suspension of certain proceedings in famine affected areas, be taken into consideration.

**Hon'ble Speaker**:-Motion moved that the bill providing for the suspension of certain proceedings in famine affected areas be taken into consideration.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस बिल के सिद्धान्त का सवाल है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे यह निवेदन करते हुए बड़ा दुख: हो रहा है कि यह बिल हाउस के सामने ऐसे वक्त पेश किया गया है जबकि अकाल से लोगों को नुक्सान हो चुका है और जैसी कि कहावत मशहूर है कि आग बुझ जाने के बाद यह हुक्म जावे कि अब आग बुझाने के लियें आदमी भेज दिये जावें। इसी तरह का यह बिल है। यह ठीक है कि एसेम्बली लेट मोट हुई और फैमिन पिछले साल से ही है लेकिन जब कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने बहुत से कानून राजप्रमुख के ऑर्डिनेन्स द्वारा पास करवाये तो इसे भी करवा लेना चाहिये था। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी चीजों में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुझे और इसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है।

श्री माधवप्रसाद एन. पंडित:—मेरे मित्र ने जो निवेदन किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । आशा है गवर्नमेन्ट आगे सतर्क रहेगी । मैं यह भी समझता हूं कि जो मित्र उपस्थित नहीं हैं यह उनकी भूल है । मैं तो अध्यक्ष महोदय का रूलिंग मानने को तैयार हूं । लॉ इज़ एन एस (कानून एक गर्दभ है ) । उनकी रूलिंग मानकर आना चाहिये था । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि यह जल्दी आना चाहिये था और चूंकि यह सभी जगह लागू होना है, उसमें दिक्कत होगी । मैं समझता हूं एसेम्बली का अधिवेशन शुरू होने के बाद जितने जल्दी कदम उठाने में जितनी आवश्यकता थी और जितने भी बिल लाने थे उन्हें लाने के बारे में सरकार सतर्क रही है और उसी कारण से आज जो आवश्यक बिल हैं उनके बारे में निर्णय करने को हम एकत्रित हुए हैं और अब भी जब इसे पास कर देंगे तो इससे बहुत से लोगों को राहत मिलने वाली है । इतना कहना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसके प्रति हम सदा सतर्क रहें ।

माननीय अध्यक्ष:—एनी डिस्कशन्स अन्डर सेक्शन ८४ ?

( विराम )

तो हम अब बिल की प्रत्येक धारा के ऊपर विचार करेंगे ।

(विराम)

The question is that clause 2 of the Rajasthan Famine (Suspension of Proceedings) Bill, 1952 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

माननीय अध्यक्ष:—Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 3 of the bill stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 3 is added to the bill.

(विराम)

The question is that clause 4 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 5 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 5 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 6 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 7 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 7 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 8 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 8 is added to the Bill.

(विराम।

The question is that clause 9 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 9 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 10 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 10 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that clause 1 stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Clause 1 is added to the Bill.

The question is that the 'Title' and enacting formula be added to the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The Title and the enacting formula are added to the Bill.

**Hon'ble Shri Sukhadia:** -I beg to move that the Bill be passed.

**Hon'ble Speaker:**-The question is that the Bill be passed.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

The Bill is passed.

**राजस्थान (कृषक--संरक्षण) अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, १९५२.**

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a Bill further to amend the Rajasthan ( Protection of Tenants ) Ordinance, 1949 (Ordinance No. IX of 1949) be taken into consideration.

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बिल के संबन्ध में कुछ आपत्ति है जो मैं श्रीमान् के सम्मुख आपके रूलिंग के लिए पेश करना चाहता हूं। यह एक ऑर्डिनेंस का एमेंडमेंट (संशोधन) चाहा जाता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी कानून के तहत किसी ऑर्डिनेंस का एमेंडमेंट किसी धारा सभा के अन्दर आ सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ऑर्डिनेंस का धारा सभा से कोई संबंध नहीं हुआ करता है। जिस वक्त धारा सभा नहीं हो उस समय यह ऑर्डिनेन्स इमरजेन्सी को मीट (अत्यावश्यकता को पूरा) करने के लिए बनाये जाते हैं, लेकिन जिस समय धारा सभा बनाली जाय तो वह ऑर्डिनेन्स एक बिल की शक्ल में उस धारासभा के सामने आता है। यह जो इस प्रकार जो कार्रवाही की जा रही है, यह बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारे मित्र जो गवर्नमेन्ट बेंचेज पर बैठे हुए हैं उनका यह कर्तव्य था कि इस ऑर्डिनेन्स को वे हाउस के सामने लाते लेकिन चूंकि एक ऑर्डिनेन्स की मियाद, शायद वे इस गलतफहमी में हों कि ऑर्डिनेन्स की मियाद बढ़ चुकी है इसलिए इसको हाउस के सामने बिल की शक्ल में लाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी ऑर्डिनेन्स, चाहे उसकी कितनी ही मयाद कानून के अन्दर जिस वक्त कि एसेम्बली का सेशन शुरू होगया है उसकी तारीख के ६ हफ्ते के पश्चात् रद्द समझा जायगा। अब ६ हफ्तों में से आज २९ तारीख को यह अधिवेशन शुरू हुए करीब ४ हफ्ते पूरे हो गये। दो।

हफ्ते बाद ही जब यह ऑर्डिनेन्स रद्द हो जायगा, तो इसमें अमेंडमेंट कोई मायने नहीं रखता है। तो में इस संबंध में श्रीमान् का ध्यान कॉन्स्टिट्युशन आफ इन्डिया (भारतीय संविधान) की धारा २१३ की तरफ खींचना चाहता हूं। जिसके अन्दर यह साफ दिया हुआ है कि:–

"I) If at any time, except when the Legislative Assembly of (a State is in Session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

[उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राजपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियां से अपेक्षित प्रतीत हों]

जब लेजिस्लेटिव असेम्बली सेशन में नहीं हो तभी वह ऑर्डिनेन्स बना सकते हैं और इसके साथ ही पेज ९८ के सब सेक्शन (उप-धारा) (२) (क) में यह दिया हुआ है कि:–

"(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(a) Shall be laid before the Legislative Assembly of the State or where there is a Legislative Council in the state, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council."

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश:–

(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान सभा

से पारित और यदि विधान परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा ]

माननीय अध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना था कि (Shall) 'शैल' वर्ड (शब्द) इसमें इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है हर ऑर्डिनेन्स असेम्बली के सामने लाजमी तौर से रखा जायगा; तो इस ऑर्डिनेन्स को जिस वक्त असेम्बली की मीटिंग शुरू हुई, रखना लाजमी था जो कि नहीं रखा गया। इसलिए यह ऑर्डिनेन्स जब तक एसेम्बली के सामने नहीं आता, एसेम्बली इसको कानून की शक्ल नहीं देती, तब तक कोई एमेंडमेंट इस हाउस में नहीं आ सकता।

यह ऑर्डिनेन्स जिस तारीख से एसेम्बली शुरू हुई है उसके ६ हफ्ते के अन्दर २ रद्द हो जायगा। ऐसी सूरत में एमेंडमेंट (संशोधन) कोई मायने नहीं रखता है।

श्री किशनलाल शाह:--माननीय अध्यक्ष, राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स) ऑर्डिनेन्स (एमेंडमेंट) बिल, १९५२, के संशोधन में एक वैधानिक आपत्ति उठाई गई है, और उसकी ताईद में भारतीय संविधान की धारा का हवाला दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा २१३ का संबंध है वह उसी जगह लागू होती है जहां कि गवर्नर एक एग्जिक्यूटिव हैड की हैसियत से एसेम्बली का सेशन नहीं होने पर कोई ऑर्डिनेन्स जारी करता है। परन्तु हमारे यहां राजस्थान में एक दूसरी चीज है। जब तक यह सदन चुनावों के बाद बाकायदा इन्स्टिट्यूट नहीं हुआ उससे पहले यह कॅवेनेंट के मातहत और कॅवेनेन्ट के जरिये जो संविधान की धारा के अनुसार राजप्रमुख ही लेजिस्लेचर थे और राजप्रमुख ने लेजिस्लेचर की हैसियत से यह कानून बनाया है इसका नाम एक्ट न होकर ऑर्डिनेन्स है। इससे यह नहीं होता है कि इसके ऊपर संविधान की धारा २१३ लागू होती है। इसका नाम आर्डिनेन्स इसलिए रखा गया है कि यह एक इमरजेन्सी लेजिस्लेचर था। इसलिए जो धारा २१३ के मातहत जो लेजिस्लेशन होता है उसीके अनुसार राजस्थान (प्रोटेक्शन आफ टेनेन्ट्स) ऑर्डिनेन्स नहीं है, बल्कि राजप्रमुख ने लेजिस्लेचर की हैसियत से जो उनको वैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, यह ऑर्डिनेन्स बनाया। यह एक इमरजेन्सी के टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन के तरीके से है। इसलिए इसको इस धारा सभा में बिल के रूप में लाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और उसमें बाकायदा इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए; यह मेरी राय है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--माननीय अध्यक्षजी, आपत्ति यह उठाई गई है कि टीनेन्टस प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स एक ऑर्डिनेन्स है और उसमें उस वक्त तक तरमीम नहीं हो सकती जब तक कि इसे एक्ट की शक्ल नहीं देदी जाती और यह जिस मयाद तक के लिए है उसकी मयाद तक इसमें तरमीम नहीं की जा सकती। मुझे इस विषय में यह निवेदन करना है कि यह जो ऑर्डिनेन्स बना है वह विधान की दफा २१३ के तहत नहीं है। स्थिति यह है कि विधान के अनुसार जिन प्रान्तों में धारा सभाएं हैं वहां कानून बनाने का अधिकार वहां की धारा सभाओं को है और धारा सभाओं की अनुपस्थिति में और कोई व्यक्ति या अधिकारी कानून नहीं बना

सकता। फिर भी जहां धारा सभाएं कायम हैं और धारासभा सेशन में नहीं हो तो अपना काम दौरान में, अगर किसी कानून की जरूरत है तो गवर्नर को अधिकार दिया गया है कि विशेष रूपसे ऑर्डिनेन्स बना करके उस कानून को जारी कर दें; उसके बाद लेजिस्लेचर का जब सेशन हो उस वक्त वहां उसे पेश करदें। उस समय राजस्थान में कोई धारासभा नहीं थी उस समय धारा सभा के कानून बनाने के तमाम अधिकार राजप्रमुख को थे। राजप्रमुख वैधानिक हैड भी है और लेजिस्लेचर भी हैं। जिस वक्त राजस्थान (प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स) ऑर्डिनेन्स का अमेंडमेंट हुआ उस वक्त यह स्थिति थी कि राजप्रमुख लेजिस्लेजर के पॉवर भी रखते थे और राज्य के वैधानिक हैड भी थे और इस प्रकार उसका भी कार्य करते थे। इसलिए उन्होंने जो कानून प्रोटेक्शन आफ टिनेन्टस आर्डिनेन्स बनाया उसका नाम ऑर्डिनेन्स रक्खा गया और वह एक्ट का असर रखता है। उस समय राज्य के लिए लेजिस्लेचर नहीं था। तमाम कार्य वे खुद ही करते थे। राजस्थान (प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स) ऑर्डिनेन्स का नाम ऑर्डिनेन्स है जो एक्ट की शक्ल भी रखता है। यह माननीय सदस्य ने बताया कि चूंकि यह ऑर्डिनेन्स है इसमें तरमीम नहीं कि जा सकती। वैधानिक दृष्टि से यह सही नहीं है और इसमें समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया यह आर्डिनेन्स एक्ट की ताकत रखता है समय भी बढ़ाने को आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया है सही तरीके से है, वैधानिक रूप से पेश किया गया है और हाउस में विचार करने लायक है।

माननीय अध्यक्षजी, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि राजप्रमुख की हैसियत दो प्रकार की है; एक वैधानिक हैसियत और दूसरी लेजिस्लेशन की, कानून बनाने की हैसियत है और उसी को काम में लाते हुए उन्होंने यह कानून बनाया था। मैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विधान जो बना है वह लागू हुआ है। वह २६ जनवरी सन् ५० से लागू हुआ है और यह जो आर्डिनेन्स है वह जून सन् १९४९ में जारी हुआ है। यानि विधान बनने से पहले यह ऑर्डिनेन्स कानून बन चुका था। इसलिए विधान बनने से पहले जो कानून बन गये थे वह विधान के अनुसार नहीं हटाये जायेंगे। वे उस समय तक लागू रहेंगे जब तक कि उनके खिलाफ कोई कानून न हों। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वह कानून जो हुए हैं बिलकुल सही हैं और उन पर अमल किया जा सकता है।

**श्री गोपीलाल यादवः**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक मित्र लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस संबन्ध में मुझे श्रीमान के नोटिस में दो तीन बातें लानी हैं। सबसे पहले चीज यह है जो कि, आपने यह फरमाया कि यह धारा २१३ की तहत नहीं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई कानून हमारे यहां ऐसा नहीं जिसकी तहत कोई ऑर्डिनेन्स बनाया जा सके या किसी तरह भी लागू रह सके। भारतीय विधान जब से लागू हुआ है तब से भारत का विधान जहां लागू है कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि फलां राज्य में यह कानून लागू नहीं होगा।

**श्री किशनलाल शाहः**—ऑन दी पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन, सर।

श्री गोपीलाल यादव:—तसल्ली रखिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस कानून में जहां पार्ट बी स्टेट का जिक्र है सेक्शन २३८ में दिया हुआ है:—

"The provisions of part VI shall apply in relation to the states specified in part B of the First Schedule as they apply in relation to the states specified in part A of that Schedule subject to the following modifications and omissions, namely.—"

इस धारा के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि पार्ट ६ में "दे शेल एप्लाई" का प्रोवीजन है, इस पार्ट ६ के अन्दर २१३ सेक्शन भी है जो पार्ट "बी" स्टेट पर लागू रहता है। उसके अन्दर यह कहीं नहीं दिया हुआ है कि धारा २१३ वहां एप्लाई नहीं करेंगे जहां लेजिस्लेचर नहीं। जिस समय भारतीय विधान बनाया गया था बहुत से ऐसे प्रान्त थे जहां लेजिस्लेचर नहीं थे और अगर ऐसी चीज होती तो इसमें शर्त लगा देते कि जहां लेजिस्लेचर नहीं वहां लागू नहीं होगा। दूसरी चीज जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि यह जो कहा गया है कि यह ऑर्डिनेन्स नहीं है; राजप्रमुख उस वक्त गवर्नर की हैसियत में थे और राजप्रमुख तथा लेजिस्लेचर दोनों के अधिकार उन्हें हासिल थे इसलिए उन्होंने यह आर्डिनेन्स राजप्रमुख की हैसियत से बनाया न कि लेजिस्लेचर की हैसियत से।

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि अगर लेजिस्लेचर की हैसियत से बनाते तो उसका नाम ऑर्डिनेन्स न रख कर एक्ट रखते। जब लेजिस्लेचर नहीं था और बाकी तमाम कानूनों को एक्ट किया है तो इसको भी एक्ट नाम देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। राजप्रमुख को लेजिस्लेचर के पॉवर्स जरूर थे; उन्होंने यह बना दिया और इसको ऑर्डिनेन्स लिखा। तो लेजिस्लेचर ऑर्डिनेन्स नहीं बनाया करती है। हेड आफ अफ दी स्टेट यह बनाया करता है। यह राजप्रमुख की हैसियत से बनाया गया है। लेजिस्लेचर के जो पॉवर थे यह दलील बिलकुल गलत है। वास्तव में इसे उन्होंने राजप्रमुख की हैसियत से बनाया है और इसलिए यह ऑर्डिनेन्स है। जब एसेम्बली का सेशन मीट होता है उसके ६ सप्ताह के बाद आर्डिनेन्स रद्द हो जाता है। उसके दर्मियान में उसको हाउस के सामने रखना लाजमी है। इसलिए कोई अमेन्डमेन्ट आर्डिनेन्स में नहीं आसकता। धारासभा के अन्दर किसी बिल पर अमेन्टमेन्ट आ सकता है ऑर्डिनेन्स पर नहीं आ सकता। ऑर्डिनेन्स राजप्रमुख बनाते है तो धारासभा रिकोगनाइज नहीं करती। जब धारासभा इसे नहीं मानती तो अमेन्टमेन्ट भी नहीं कर सकती। अगर बिल की शक्ल में नहीं आये हैं तो छः सप्ताह के अन्दर रद्द हो जायगा। ऐसी हालत में ऐसे अमेन्डमेन्ट लेजिस्लेचर में नहीं रख सकते।

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, पहला जो ऑर्डिनेन्स राजप्रमुख ने बनाया है उसमें धारासभा अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकती। दूसरा वैधानिक प्रश्न यह उठाया गया है कि धारासभा के मीट करने के छः सप्ताह बाद वह लेप्स हो जाता है इसलिये अमेन्डमेन्ट नहीं हो सकता। मैं इस विषय में निवेदन करूंगा कि छः सप्ताह विधान की तहत है, उन ऑर्डिनेन्सों के लिए जहां बाकायदा धारा सभा है। जब धारा सभायें मीट नहीं करतीं तो उसे जारी कर दिया जाता है। तो जरूरी समझ कर छः हफ्ते बाद लेप्स हो जाता है।

कॅवेनेन्ट की धारा १० में राजप्रमुख को अधिकार दिया गया है कि जब तक धारा सभा न बने तब तक इस तरह के ऑर्डिनरी कानून राजप्रमुख बनाये। कॅवेनेन्ट में भारत सरकार और राजप्रमुख के बीच में साइन (हस्ताक्षर) हुये थे? कि राजप्रमुख को अधिकार दिया गया है कि वे दफा १० की तहत जो चाहें कानून बना सकते हैं और वे आर्डिनेन्स भी हो सकते हैं और एक्ट भी हो सकते हैं। वे ऑर्डिनरी लॉ की हैसियत रखते हैं। कॅवेनेन्ट की धारा १० के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था; इसलिये इस एसेम्बली में राजप्रमुख को पूर्ण रूप से लेजिस्लेचर के वैध अधिकार प्राप्त थे। आप लेजिस्लेचर के सक्सेसर हैं। जो एक्ट, ऑर्डिनेन्स राजप्रमुख ने बनाया है उस पर अमेन्डमेन्ट किया जा सकता है। इसलिये अर्ज करता हूं कि जहां तक राजप्रमुख का अधिकार है वहां तक ऑर्डिनेन्स या एक्ट में कोई डिफरेन्स (अन्तर) नहीं। राजप्रमुख एक्ट भी जारी कर सकते हैं और ऑर्डिनेन्स भी जारी कर सकते हैं। यह वहां के लिए लागू हो सकता है जहां बाकायदा लेजिस्लेचर बना हुआ है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस धारा सभा को अधिकार है कि इस बिल का अमेन्डमेन्ट करें।

श्री माधवप्रसाद एन. पंडित:—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान सभा के पहले जो ऑर्डिनेंस बने हैं उनके अमेंडमेंट (संशोधन) करने पर ऐसी कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है जिससे कि हम उसको यहां नहीं रख सकें। इस लिए मेरे ख्याल से जो अमेंडमेंट आया है, वह ठीक है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, स्थिति साफ हो चुकी; फिर भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जिससे किसी भी क्वार्टर में कोई संदेह न रहे। कॉंस्टिट्युशन हमारा जनवरी सन् ५० में लागू हुआ उससे पहले यह ऑर्डिनेंस बना है। यह ऑर्डिनेंस सन् ३५ के विधान के अनुसार, जो पॉवर्स गवर्नर को दिए उसके आधीन हुआ। यह ऑर्डिनेंस राजप्रमुख ने अपने उन अधिकारों के अधीन बनाया जो अधिकार राजप्रमुख को विशेष रूप से, गवर्नर के दिए गए थे इसलिए न सन् ३५ के विधान में जो रिकमंडेशन हैं वे ऑर्डिनेंस में आती हैं, न जो पावर लिमिट्स होती है वह इस ऑर्डिनेन्स मे आती है। इस ऑर्डिनेन्स को बनाने के राजप्रमुख के अधिकार गवर्नमेन्ट की ओर से थे और कोई ऐसी चीज नहीं है कि राजप्रमुख द्वारा बनाए गए ऑर्डिनेन्स किसी समय लेजिस्लेचर के सामने आयें। प्रश्न यह उठाया गया है कि इसका नाम ऑर्डिनेंस क्यों रखा। केवल थोड़ीसी बात समझने की है। "एक्ट्स" आम तौर से गवर्नमेंटस् एक्ट में आते हैं। और जिस समय यह कानून बनाया गया था, इस कानून की दो साल की एक निश्चित अवधि के लिए बनाने की मंशा थी, हमेशा के लिए नहीं थी; इसलिए इसका नाम ऑर्डिनेंस रखा, वरना इसमें और एक्ट में कोई अन्तर नहीं है। जो पॉवर्स राजप्रमुख को एक्ट बनाने के थे उन्हीं पावर्स से यह एक्ट बनाया गया है। इसमें न तो कोई भारत विधान की लिमिटेशन्स हैं, न सन् ३५ के विधान की लिमिटेशन्स इस पर आती हैं, राजप्रमुख की अपनी शक्ति थी, अधिकार थे, और उन्होंने इसे बनाया। इसके सिवाय इसमें और कोई बात आती नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, अगर मुझे इजाजत दी जाय तो मैं और दो शब्द कहूं ।

माननीय अध्यक्ष:–यस (हां)

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, पुराने कानून के तहत जो ऑर्डिनेंस बना करते थे उनकी मियाद ६ महीने की हुआ करती थी। सन् ३५ वाला जो हिन्दुस्तान का विधान था उसमें यही था । लेकिन उसके बाद ये जो विधान है इस विधान में उसकी कोई मियाद नहीं है; इसलिए ६ महीने की कोई शर्त तो लागू नहीं होती लेकिन जो चीज कही जाती है कि चूंकि उस वक्त लेजिस्लेशन नहीं थी और उनको पूरा अधिकार था इसलिए वह हमेशा के लिए कानून बना सकते हैं । राजप्रमुख और यहां की मिनिस्ट्री उस वक्त स्टेट मिनिस्ट्री से सम्बन्धित थी, क्योंकि स्टेट मिनिस्ट्री की सलाह से ही यहां का सारा काम होता था, जो कि यहां की लेजिस्लेशन द्वारा होना था । इसलिए उन्होंने यह सलाह दी कि ऐसे अहम मामलों पर कानून नहीं बनाया जा सकता, ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है । और जब लेजिस्लेशन मीट हो तो आर्डिनेंस की शर्त के मुताबिक उसमें वह पास होना चाहिए । अगर जैसा कि यहां सूचित किया गया है कि यह एक्ट है तो राजप्रमुख से ऑर्डिनेंस पर एक्ट लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं थी । वे ऐसा करवा सकते थे । लेकिन न उन्होंने ऐसा किया, न राजप्रमुख करने जा रहे थे, न स्टेट मिनिस्ट्री ऐसी इजाजत दे सकती थी, न यहां सेंट्रल से आये हुए एडवाईजर्स ऐसी गलत बात की सलाह दे सकते थे । उन्होंने इसे ऑर्डिनेंस ही रखा और तब तक रखा जब तक की लेजिस्लेशन न बन जाय और उसमें पास न हो जाय ; तब तक वह आर्डिनेंस चलता रहे, इसमें कोई एतराज की बात भी नहीं है । अब जब कि संविधान की धारा २७३ लागू हो जाती है तो इसके खिलाफ कोई चीज नहीं रह जाती है । मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि कानून का जहां तक सम्बन्ध है उसे बहुत सोच समझकर बनाने की जरूरत है । अगर हमसे कोई गल्ती हो गई हो तो हम उसे छिपाने के लिए जिद्द न करें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून को सही रूप में पास करें और कानून की सही परम्पराएं कायम करने के लिए श्रीमान् भी कुछ ध्यान दें । इन शब्दों के साथ में इस विषय पर श्रीमान की रूलिंग चाहता हूं ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस के सामने प्रश्न यह है कि जो ऑर्डिनेन्स श्रीमन् राजप्रमुख ने बनाया था और जिसको इस समय संशोधित करना चाहते हैं, क्या वह ऑर्डिनेन्स राजप्रमुख ने कॉस्टिटयुशन के प्रदत्त अधिकारों में बनाया था । अथवा कोई दूसरे अधिकार उनको हासिल थे जिससे बनाया था । मैं आपके सम्मुख संविधान का अनुच्छेद ३७२ उपस्थित करता हूं:–

३७२. (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य

क्षेत्र में सब प्रवृत विधि उसमें तब तक प्रवृत बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान मन्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली या निरसित या संशोधित न की जाये ।"

मैं इसको इन शब्दों में सीधी सादी भाषा में इस तरह उपस्थित करता हूं कि जो कायदे अथवा कानून कॉन्स्टिट्युशन के फोर्स में आने से पहले, कॉन्स्टिट्युशन के जारी होने से पहिले बने हुए थे वे कायदे अथवा कानून उस समय तक लागू रहेंगे जब तक कि कोई लेजिस्लेशन या ऐसी ओथोरिटी जो उसमें लेजिस्लेशन का पॉवर रखती हो, वह उसको या तो हटा न दे, निर्दिष्ट न करदे, अथवा उसे संशोधित न करदे । इन शब्दों के उपयोग से स्पष्टत: प्रतीत होता है कि इस वर्ड डिफिशिएन्सी में साफ आया हुआ है कि जो कानून उस समय फोर्स में थे उनको प्रचलित कानून (लॉ इन फोर्स) कहा जावेगा । इसलिये यह बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसा कोई ऑर्डिनेन्स अथवा एक्ट या जो भी कानून जो राजस्थान के दूसरे राज्यों के अलग अलग हिस्सों में जारी थे "लॉ इन फोर्स" थे, वे आज भी बराबर जारी हैं और इस समय तक काम में लिये जाते हैं इसके लिये मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूं जहां ये काम में लाये जाते हैं । इस वक्त नुक्ते नज़र से हमको यह देखना है कि आया ये कानून उस समय ठीक तौर से बने थे या नहीं । मगर इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह एक्ट आदि बनाने के अख्त्यारात राजप्रमुख को इस कॉन्स्टिट्युशन के अनुसार नहीं हैं जिसका कि जिक्र आप कर रहे हैं । ये अख्त्यारात राजप्रमुख को उस वक्त से थे जब कि यह कॉन्स्टिट्युशन फोर्स में भी नहीं था । उस समय जो भी एक्ट बने हैं उन सब में "ऑर्डिनेन्स" शब्द लिखा है और किसी के साथ शब्द एक्ट नहीं है । आप देखेंगे कि जनवरी १९५० से पहले के कानून ऑर्डिनेन्स के नाम से प्रकाशित हुआ करते थे और कॉवेनेन्ट के जरिये जो अख्त्यारात राजप्रमुख को थे वे सोवरिन ओथोरिटी में वेस्ट करते हैं जो उस समय तक अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजाओं की सोवरिनिटी में थे और जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण के समय अपने सब के सब अख्त्यारात राजप्रमुख को समर्पित कर दिये और उन अख्त्यारात के अनुसार राजप्रमुख ने ये ऑर्डिनेन्सेज बनाये । इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि यह ऑर्डिनेन्स धारा ३७२ के अनुसार इस कॉन्स्टिट्युशन के प्रयोग में आने से पहले बना है और इसी रूप से देखा जाएगा चाहे वे ऑर्डिनेन्स के नाम से प्रचलित हों मगर इस तरह का ऑर्डिनेन्स कानून का फोर्स रखता हुआ समझा जावेगा । धारा २१३ में उन ऑर्डिनेन्सों का वर्णन किया है, जब कि राजस्थान अथवा दूसरे प्रान्तों के लेजिस्लेचर बन गये हों या उनके बनने के बाद उनका सेशन नहीं चल रहा हो और उस समय राजप्रमुख को किसी ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता प्रतीत हो तो २१३ की शक्ति के अनुसार ऑर्डिनेन्स बनाया जा सकता है ।ऐसे ऑर्डिनेन्स केवल उस समय तक चालू रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे जब तक लेजिस्लेटिव एसेम्बली का सेशन चालू हो । इसलिये उसमें ६ सप्ताहों की शर्त लागू नहीं होती । इसलिये मैं अपने माननीय मित्र से अर्ज करूंगा कि वे इसे दुबारा देखें और पढें कि जो ओब्जेक्शन उठाया गया है वह सही है या नहीं ।

श्री गोपीलाल यादवः—माननीय अध्यक्ष, चूंकि यह नया पॉइन्ट उठाया गया है इसलिये मुझे अपने कुछ विचार प्रकट करने हैं। आर्टीकल ३७२ में यह दिया गया है:—

"Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority."

"दी लॉ इन फोर्स" कानून की तरह जारी रहेंगे अब देखना यह है कि "लॉ" वर्ड (शब्द) में ऑर्डिनेन्स आते हैं या नहीं। यदि आते हैं तो मेरे माननीय सदस्य की दलील सही है और मैं उनको मानलूंगा; लेकिन लॉ की तहत में ऑर्डिनेन्स आते नहीं हैं। इसलिये मैं उनका ध्यान इस सेक्शन के दूसरे पेज में दिये हुए एक्सप्लेनेशन ४ की तरफ दिलाता हूं। एक्सप्लेनेशन ४ जो है उसमें ऑर्डिनेन्स को एक्ट से सेपरेट कर दिया गया है। इसलिये अब इसके मुताबिक अमल होगा इसमें कहा है:—

"An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State."

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त ऑर्डिनेन्स बना उस समय राजप्रमुख को जो पोवर थे; वे गवर्नर के से थे इस एक्सप्लेनेशन में क्लियर लिखा गया है। यह जो एसेम्बली मीट कर गई है इसके ६ सप्ताह के बाद ऑर्डिनेन्स का जोर खत्म हो जावेगा और चूंकि यह ऑर्डिनेन्स है, इसलिये ऑर्डिनेन्स का फोर्स रखते हैं न कि एक्ट का। जब आप ऑर्डिनेन्स को एक्ट मानते हैं तो फिर उसको ऑर्डिनेन्स कहने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका उत्तर देने के लिये आज्ञा चाहता हूं। आपने श्री गोपीलाल यादव को दो तीन बार बोलने की आज्ञा प्रदान की है।

माननीय अध्यक्षः—आप भी कहिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:- मेरे जो मित्र ने आपत्ति उठाई है उसके लिये में उसका ध्यान धारा ३६६ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें उसकी उपधारा १० में एग्जिस्टिग लॉ ( वर्तमान विधि ) की डेफिनेशन में ऑर्डिनेन्स शामिल है। इसकी डेफिनेशन इस तरह है:-

(10)-" Existing law" means any law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation passed or made before the commencement of this Constitution by any Legislature, authority or person having power to make such a law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation;

इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो कानून कोन्स्टीट्युशन के लागू होने से पहले बनाये गये हों। दफा ३७२ में कानून का जिक्र किया है उसको में फिर उपस्थित करता हूं ।

Article 372 I understand refers to Article 395 of the Constitution of India and says that:—

"Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority."

Explanation IV reads as follows;-

"An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of this Constitution shall unless withdrawn by the Governor of the corresponding state earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State."

श्री गोपीलाल यादव:-यह में मानता हूं कि लॉ के आर्डर में (विधि के आधीन) ऑर्डिनेन्स आते हैं और कॉस्टिट्युशन की धारा ३७२ की तहत में यह एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऑर्डिनेन्स लॉ के अंतर्गत हैं इसलिये यह गलती न की जाय कि ऑर्डिनेन्स कायम रहेंगे। इस धारा के अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन नं० ४ है उसमें इस संबंध में जो कार्यवाही होती है उसकी व्याख्या की गई है।

श्री मथुरादास माथुर:-Explanation IV which reads as under is quite clear:—An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of

this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State."

In the view taken by my friend Shri Gopi Lal Yadav, I think there is a little confusion regarding the word 'Ordinance'. So far as section 213 of the Constitution of India is concerned it empowers the Governor or the Rajpramukh to make Ordinance and Emergency law. "Emergency law" here is equivalent to word "Ordinance". Where Legislature is not functioning, then whenever emergency arises, the Governor or the Raj-Pramukh is competent to make any law. That Emergency law is known as Ordinance. The word 'Ordinance' referred to in Section 213 means emergency law. If you go through the Constitution of India you will find that the word 'Ordinance' is as good as an Act. Therefore, I submit, Sir, that this word 'Ordinance' is different from "Ordinance" promulgated by the Governor. The explanation given in section 213 does not apply to those ordinances which are as good as acts. You know, Sir, that in Rajasthan where we have no lagislature the Rajpramukh is the legislature and therefore, whatever law, ordinance, or enactments made by the Rajpramukh and promulgated are as good as acts and, therefore, the question of conforming these laws does not arise so far as these ordinances are concerned. Therefore, Sir, I submit that this Ordinance is competently made by a competent authority i. e. the Rajpramukh and, therefore, there is no necessity to get it confirmed within six weeks.

श्री सोहनलाल:--माननीय दोस्त ने एक्सप्लेनेशन ४ के बारे में जो बहस की है उसके बारे में निवेदन करना है कि आपने जो रेफ्रेन्स दिया है वह उन ओर्डिनेन्सेज़ के बारे में लागू होता है जो गवर्नरों के प्रान्त में लागू किये जाते हैं। हमारे राजस्थान में न तो कोई गवर्नर था और न सन् १९३५ के भारतीय विधान के अंतर्गत आने वाले आर्डिनेन्स लागू हो सकते थे ।

माननीय अध्यक्ष:--जो आपत्ति उठाई गई है उसके विषय में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो राजस्थान प्रोटेक्शन ओफ टिनेन्ट्स एक्ट जारी हुआ है वह धारा २१३ के अंतर्गत नहीं है और वह राजप्रमुख द्वारा जारी हुआ है जिनको इसे जारी करने का पूरा अधिकार था। इसलिये धारा २१३ व उसकी उपधाराएं इस पर लागू नहीं होती और ऐसा मानो जायगा कि यह ऑर्डिनेन्स राजप्रमुख द्वारा लागू किया गया है जिनको लेजिस्लेशन का पूर्ण अधिकार था। इसलिये यह लेजिस्लेशन है और इसके अनुसार इसमें यहां संशोधन किया जा सकता है।

So the question is that the Bill to further amend the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance (Amendment) Bill, 1952

be taken into consideration.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

इस बिल को विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

**श्री गोपीलाल यादव**:--माननीय अध्यक्ष इस एमेन्डमेन्ट को पेश करते हुए जो स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स ( उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण) दिया गया है उसके खिलाफ इस एमेन्डमेन्ट को पेश किया गया है। इस संबंध में मुझे कुछ शब्द कहने हैं। इसके स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया गया है कि:—

"Section 4 of the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance, 1949 provides that no tenant shall be liable to ejectment or dispossession from the whole or a part of his holding on any ground whatsoever. Section 7 however of the aforesaid Ordinance provides for the reinstatement of only those tenants, who were in occupation on the first day of April, 1948, and thereafter ejected or dispossessed thereof:—

(*a*) before the commencement of the Ordinance otherwise than by process of law, or

(*b*) after the commencement of the Ordinance in contravention of the provisions thereof.

The interpretation put by the Board of Revenue upon the words "on the first day of April, 1948" as excluding possession of a subsequent origin has been instrumental in creating hardships for such tenants as were dispossessed wrongfully after the commencement of the Ordinance but were not in possession on the first day of April, 1948. The obvious intention of the law is to provide security of tenure for all tenants who were in possession at the commencement of the Ordinance. This is being defeated to some extent by restricting reinstatement only to those tenants who were in possession on 1st April, 1948. Hence the Bill which seeks to remove the aforesaid discrepancy and to bring the law in conformity with its spirit."

इस का मतलब यह हो जाता है और होना भी चाहिये कि यदि १-४-४८ से कुछ समय पहिले कोई किसान बेदखल कर दिया गया है तो उसे भी राहत मिल सके। मैं कहता हूं कि वे इस मयाद को साल भर आगे करदें; बजाय ४८ के ४९– लेकिन क्योंकि उनके एम्स एंड ओब्जेक्ट्स में गलत लिखा है इसलिये मैं सबमिट करता हूं कि लॉ कोर्ट्स तो एम्स एन्ड ओब्जेक्टस को देखेंगे और वकील लोग लॉ कोर्ट्स के सामने अपना व्यु पॉइन्ट रखेंगे। २५ जुलाई १९४९ को जब ऑर्डिनेन्स कमेन्स हुआ है उस दिन जो टिनेन्ट्स पजेशन में थे उन पर लागू होता है। अगर बाद में बेदखल किया जाता है और कोई कोर्टरीइन्सटेट करदेता है तो आदमी हाई कोर्ट में पहुंच सकता है क्यों कि वह बतला सकता है कि देखिये यह साफ

लिखा है; इसलिये २५ जुलाई के बाद के टिनेन्ट्स पर लागू नहीं होता। एमेन्डमेन्ट की भाषा गलत मालूम होती है और स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ने से मालूम होता है कि बाद में लागू होगा। इससे इसका उद्देश्य फ्रस्टरेट हो जाता है और किसानों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे मित्र बड़ी जल्दी में एमेन्डमेन्ट रखते हैं। वे कानून बनाते समय दूसरी तरफ वालों से सलाह मशविरा करें तो हम सहयोग देने को तैयार हैं और यदि वे समझते हैं कि दूसरी तरफवालों की राय कोई वकत नहीं रखती तो बात दूसरी है।

जो एमेंडमेंट आज आया वह उसी दिन उनको लिखकर दिया था और उन्होंने वायदा किया था कि वह जल्दी ही इसको कर देंगे, लेकिन वे आज तक नहीं कर सके। २ साल होगये हैं। इस कदर हम इसके बिना देहाती परेशान हो रहे हैं। इस साल इसको लिया गया है किन्तु इसके भी स्टेटमेन्ट आफ ओब्जेक्ट्स में ऐसी गलत बात रख दी गई है कि वह इस एमेंडमेंट के खिलाफ पड़ती है। अब भी मेरे माननीय मित्र स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्टस में इस वक्त संशोधन कर लें तो आपकी इजाजत लेकर इसको वापस ले लेने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा, या इसको सिलेक्ट कमेटी में पेश कर दें जिससे कि ठीक ढंग पर इस पर विचार किया जाय।

**माननीय श्री टीकाराम पालीवाल**:—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन शब्दों की ओर ध्यान दिलाया है वह ठीक है। कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है; ज्यादा सफाई देने की। लेकिन जो उन्होंने राय निकाली है वह वैसे तो नहीं हैं अगर गारे स्टेटमेंट ओफ ओब्जेक्ट्स को पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि जो राय वह समझ रहे हैं वह बिल्कुल वैसी तो नहीं है। मतलब इनका केवल इतना ही है कि रेवेन्यू बोर्ड ने जो सेक्शन ७ के मातहत डिसीजन दिये हैं वे यह हैं कि उन्होंने एक अप्रेल १९४८ को जो पजेशन में था उसको ही माना। उसके बाद जो किसी भी जमीन के पजेशन में लेजीटिमेटली (न्यायोचित) रहा हो तो उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है; ऐसी उनकी राय थी। इसके बाद ऐसे प्रश्न सामने आते रहे हैं कि उसके बाद के वे पजेशन वाले जिन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था उनको प्रोटेक्शन देने के लिये यह इस सदन के सामने एमेंडमेंट लाया गया है तो यह जैसा कि कहा जाता है कि:—

"The obvious intention of the law is to provide security of tenure for all tenants who were in possession at the commencement of the Ordinance."

इसका अर्थ केवल यही है कि ऑर्डिनेंस सन् ४९ में जारी किया गया था। तो उस आर्डीनेंस में यह प्रोवाइड किया गया था कि १ अप्रेल, सन् ४८ और जून सन् ४९ के बीच में जो टेनेन्ट्स पजेशन में थे उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इस इन्टेन्शन का केवल अर्थ यह है कि प्रत्येक को प्रोटेक्शन मिले। उसका इन्टेन्शन यही था कि जिस वक्त ऑर्डिनेंस पास किया गया है उस वक्त तक जो लोग पज़ेशन में थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको प्रोटेक्शन देने की

मंशा थी । लेकिन जब इजेक्टमेंट के मामले चले तो उन्होंने रेफर किया । तो रेवेन्यू बोर्ड ने इन्टरप्रिटेशन किया कि जो उस तारीख यानी १ अप्रेल को पजेशन में था उनको प्रोटेक्शन दिया गया है बाद में जो लोग पजेशन में आये हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है । जो स्पष्ट बात थी और जिसको रेवेन्यू बोर्ड ने भी माना है उसको नहीं दोहराता हूं । उस बात को रेवेन्यू बोर्ड ने थोड़ा सा गलत समझ लिया है । उनका इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं है । यह कैसे हो सकता है कि कानून बनने से पहले के लोगों को तो प्रोटेक्शन दिया जाता है तो जब कानून पास हो रहा था उस समय जो लोग पजेशन में थे उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाय । पहले वाली चीजों को रिपीट नहीं किया गया है । अगर वह जरूरी समझें तो उनको भी एड (शामिल) किया जा सकता है ।

श्री गोपीलाल यादवः—उसको भी ज्यादा साफ किया जा सकता है, अब भी किसी को ऐसा मौका न दिया जाय कि फिर से गलती हो । अब ऐसी कोई गलती नहीं रहे कि मेरे माननीय मित्र को फिर इस हाउस के सामने एमेंडमेंट लाना पड़े । इसलिए इस एमेंडमेंन्ट में बजाय "ओर" के "एण्ड" की जरूरत है । इसे क्लियर कर दिया जाय । कोर्ट्स को ऐसा मौका न दिया जाय । इससे किसानों को ख्वामख्वाह तकलीफ होती है ।

एक माननीय सदस्यः—मैं समझता हूं कि आपने जो कहा वह ठीक है । उससे भी ज्यादा साफ उसी एमेंडमेंट के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में सेन्टेन्स को साफ किया गया है, लेकिन उसे इस रूप में किया जाय तो ज्यादा ठीक है:—

"those tenants, who were in occupation on the first day of April, 1948, or came into possession thereafter."

श्री गोपीलाल यादवः--यह कर दिया जाय ।

श्री किशनलाल शाहः--माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो स्पष्टीकरण दिया ह उसके मायने यह हैं कि एक अप्रेल, १९४८ से यह आर्डीनेंस लागू हुआ है, और यह आर्डीनेंस २४ जून, १९४९ को जारी हुआ है तो इस एक अप्रेल सन् १९४८ और २४ जून सन् १९४९ के बीच में तथा इसके बाद जिन लोगों का पजेशन था यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा ? क्या यह स्पष्ट किया जा सकता है ?

माननीय अध्यक्षः—The whole discussion is I think unwarranted when the amendment of section 7 is very clear and necessary words may be added in the statement of objects and reasons.

श्री किशनलाल शाहः—आब्जेक्ट्स और रीजन्स में इनका कोई जिक्र नहीं । इस प्रकार यह तीन स्टेजेज अलग २ हो जाती हैं । अगर सेक्शन ७ को एमेंड किया जायगा तो वह सेक्शन सेपेरेटली किया जायगा । तो मैं समझता हूं कि वह

क्लियर हो सकता है, और उसके ऐम्स एन्ड आब्जेक्ट्स को साफ करवाने की आवश्यकता नहीं होती है । इनके तीन स्टेजेज इस प्रकार हैं, एक पीरियड २४ जून सन् १९४९ और १ अप्रेल सन् १९४८ के बीच का, दूसरा पीरियड २४ जून सन् १९४९ के देयर आफटर (उसके बाद का) है । इस प्रकार ये स्टेजेज आती हैं । उनमें फिर दिक्कतें पेश हो जाती हैं ।

श्री छोटूसिंह: -अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७ का जो एमेंडमेंट है वह बड़ा क्लियर है । मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने दफा ७ के एमेंडमेंट पर ऐतराज उठाया; दरसल ऐसी पीजीशन नहीं ह । दफा ७ का एमेंडमेंट बड़ा क्लियर है । जो किसान १ अप्रेल, १९४८ के बाद भी काबिज हों उनको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलता है । इस एमेंडमेंट के बाद यह ठीक है । पहले की दफा ७ जो थी, जैसा भी वह स्टेन्ड करती थी उसके तेहत जो किसान १ अप्रेल, १९४८ के बाद में पजेशन में था उनको इजेक्ट करने पर इस कानून के तेहत रिइन्स्टेट करने का कोई प्रोवीजन नहीं था । आब्जेक्ट्स और दफा सात में ऐसा कन्ट्राडिक्शन नहीं है । आब्जेक्ट्स को थोड़ा क्लियर कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं हैं । दफा ७ इसमें क्लियर है उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष, महोदय जो आब्जेक्ट्स पर बहस हो रही है उसमें मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है । इसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जहां यह कहा गया है,"हू वर इन पजेशन" इसके आगे "१८ अप्रेल एन्ड देअरआफ्टर" ह, इसका स्पष्टीकरण में संकेत था, यह कर दिया जाय तो जिससे यह मामला स्पष्ट हो जायगा ।

माननीय अध्यक्ष:–The Hon'ble member has objection to the form and not to the substance so we proceed to consider the Bill clause by clause

हाउस के सामने प्रश्न यह है .

"The Bill further to amend the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance, 1949 be taken into consideration.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

( विराम )

Now the question is that Clause 2 of the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance (Amendment) Bill, 1952 stand part of the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 2 is added to the Bill.

( विराम )

The question is that clause 1 be added to the Bill.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

Clause 1 is added to the Bill.

The question is that the title and the enacting formula stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

The title and the enacting formula are added to the Bill.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-Mr Speaker, Sir, I beg to move that the Bill be passed.

माननीय अध्यक्ष:--Motion moved.

( विराम )

माननीय अध्यक्ष:--हाउस के सामने प्रश्न यह है कि राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स) आर्डिनेन्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ पास किया जाय ।

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

The Bill is passed.

राजस्थान कृषि भाटक (रेण्ट्स) नियन्त्रण विधेयक, १९५२

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a Bill to prescribe the maximum extent of cash rents recoverable on account of agricultural lands in Rajasthan, be taken into consideration.

माननीय अध्यक्ष:--Motion moved.

( विराम )

The Question is that the Bill to prescribe the maximum extent of Cash rents recoverable on account of agricultural lands in Rajasthan be taken into consideration.

श्री गोपीलाल यादव:–अध्यक्ष, महोदय, मैं यह मुव करना चाहता हूं कि यह बिल जनता की राय जानने के लिए पब्लिक में सरकूलेट किया जाय ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रिकलचरल रेन्टस कन्ट्रोल बिल पेश कर दिया गया था और राय ले ली गई थी। इसके पश्चात् भी माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन पेश किया है, यह मेरी समझ में ठीक नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष:--This is consideration stage. इस स्टेज पर यह प्रश्न किया जा सकता है।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत महत्व का है। बहुत से मेरे मित्र इसको बहुत छोटी सी चीज समझते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का असर लाखों आदमियों के हकों के खिलाफ पड़ता है। जिसका प्रबल एडवर्स इफेक्ट ( विपरीत प्रभाव ) लाखों आदमियों पर पड़े उस सम्बन्ध में पब्लिक की ओपिनियन ( सम्मति) जानना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें लाखों आदमियों को अपनी जायदाद से महरूम कर देगा। अगर यह बिल सिर्फ जागीरी एरिया में लागू होता तो इसके अन्दर लाखों आदमियों का हित हो सकता था। अगर इसका संबंध जागीरी एरिया से है तो इस पर मैं कोई आपत्ति नहीं उठाता। लेकिन इसका संबंध जागीरी एरिया से नहीं राजस्थान में किसी भी जमीन से है। माननीय अध्यक्ष, हमारे राजस्थान में लाखों ऐसे टिनेन्ट्स हैं, ऐसे छोटे २ पीजेन्ट प्रोपायटर्स हैं, जिनके पास २०-२५ बीघे से ज्यादा जमीन नहीं। यह बिल नहीं चाहता है कि लेन्डलॉर्ड टिनेन्ट की मदद की जाय; यह उनके खिलाफ पड़ता है। लेन्डलार्ड टीनेन्ट्स से जो जमीन आज तक मिलती रही है इसके आगे वह उनको मिलने नहीं जा रही है। कोई ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं होगा कि ५० बीघा जमीन को ५ हजार रुपये में खरीदे। लेकिन उसको खुद काश्त से १ या २ हजार रुपये पैदा न हों और ५० बीघा जमीन को दूसरे को दे दे जिसके साल भर में पचास चालीस रुपये मिले। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस वक्त यह कह सकते हैं कि हम किसानों की मदद करने जा रहे हैं लेकिन किसानों की भी मदद ठीक नियम से होनी चाहिये; उनसे सलाह करके होनी चाहिये, यह मालूम करके होनी चाहिये कि उनको इससे मदद होती है या नहीं। साथ ही हम दूसरे आदमियों के प्रोपरटी राइट्स को छीन रहे हैं जो लगा रहे हैं सलाह मसविरा करना चाहिये। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोपर्टी राइटस नहीं छीन रहे हैं, हम उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जब हम इस चीज को मान लेते हैं कि सरकार को दूना लगान कर देने का अधिकार है तब हमको यह भी मानना पड़ता है कि सरकार को एक खास लगान रखने का भी अधिकार है।

(१०-१५ बजे सदन की कार्यवाही श्री माधवप्रसाद एन. पंडित की अध्यक्षता में शुरू हुई )

इसी अधिकार के तहत वह ५० बीघे का ५० पया दिलाना चाहते हैं। वहां के अगले सेशन में इन पचास रुपयों को पचास आने में तबदील कर सकते हैं। एक आदमी जिसके पास ५०--२५ बीघा जमीन है और वह किसी कारण वश बाहर चला जाता है और दूसरा काम करता है तो यह कानून बन जाने पर अपनी जिम्मेवारी किसी टिनेन्ट को नहीं देगा।

यह चाहे उसको पड़ी रखे और चाहे उसमें किस तरह से कैसा भी काश्त कराये लेकिन रखेगा वह अपने पास, क्योंकि अपनी २५ बीघा जमीन उसे रखनी है। इसके पहले भी जल्दी में राजस्थान टीनेंसी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। टीनेंट्स प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स से लाखों किसान बेघरबार हो गये और आज वह जमीन उन्हें कोई देने वाला नहीं है। बड़े २ जमींदार तो जो पहले काश्त नहीं किया करते थे और २, ४, ५ रुपये बीघा की लगान पर जमीन को किसानों को दे देते हैं, उससे वे स्वयं अपना गुजारा करते थे और दूसरी तरफ उस जमीन से किसानों का गुजारा हो जाता था। इस एक्ट से यह हुआ कि किसानों से जमीनें छीन लीं और ट्रेक्टरों के जरिये से काश्त चालू कर दिया। उनके जो लेंडलार्ड थे उन्होंने जमीन को खुद के कब्जे में रखी। और मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि इस टीनेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के तहत लोगों ने मुकद्दमे दायर किए उनके हक में फैसले हुए और फैसले होने के बाद उन गरीब किसानों को लेंडलार्डों ने कई रुपये बीघे पर जमीनें दी और वह बेचारे काश्त पर उठा कर ले गये। इन मामलों पर कई बार झगड़े हुए, कई ज्यादतियां हुई। जब कानूनी कार्यवाही कराई गयी तो आफिसर कहता है कि यह तो पुलिस का मामला है इसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, यह कानून के तहत नहीं है। आज हम भी वैसा ही कानून बनाने जा रहे हैं। टीनेंसी का जो नमूना हमने देखा। लाखों आदमी यहां पर ऐसे हैं जिनके पास अपनी २०-२५ बीघा जमीनें हैं जो दूसरों को देते हैं, वह बन्द कर देंगे। इस एक्ट में कई ऐसी भारी २ गल्तियां हैं। मैं आपको बताऊं कि एक जगह लिखा हुआ है कि अगर कोई बेवा है और अगर कोई बच्चा है और उसके पास २५ बीघा तक जमीन है तो वह तीन गुना लगान भी ले सकता है; बशर्ते कि उसके पास २५ बीघा से ज्यादा न हो। अध्यक्ष महोदय, १६ वर्ष के नाबालिग बच्चे के पास-वह तीन गुना लगान ले सकता है। इसके माने यह हैं कि वह ७५ रुपये लगान के जो वसूल करे, उस ७५) रुपये की रकम में से २५) रुपये तो वह सरकार में जमा करा दे और ५०) रुपये वह अपने पास बचा ले। तो क्या उस ५०) रुपये से उस विद्यार्थी का काम चलेगा। शायद फीस का भी काम न चले। हां, यदि ऐसा न हो तो उस २५ बीघा से ५००) रुपये, २००) रुपये, २५०) रुपये उस जमीन से कुछ न कुछ उसे मिल सकता है। लेकिन इससे, उसे वह नहीं मिलने जा रहा है।

दूसरी बड़ी भारी गलती इसमें यह हुई है कि २५ बीघा वाली बेवा को तो ५०) रुपये मिल जायेंगे; लेकिन जिसके पास २६ बीघा है उसे २६ रुपये ही मिलेंगे। क्या इस कदर से न्याय किया जा रहा है? क्योंकि उसके पास एक बीघा ज्यादा है इसलिये उसे २६ रुपये ही मिलेंगे, ५० नहीं मिल सकते। जो रियायत इस कानून के अन्दर २५ बीघे की रखी है और उससे जो बुराई होने जा रही है उसको भी देखने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको बतलाऊं कि इसका क्या रिपर्केशन होने जा रहा है। थोड़ा बहुत तो अभी से शुरू हो भी गया है। आपने पिछली दफा एक कानून बनाया था वह कानून क्या बना एक तरह की मजाक हुई। उस कानून को बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके बाद यह फिर बनाया जा रहा है कि एक किसान अपनी रखवाली की दरख्वास्त देकर सरकार से रुपया वसूल कर सकता है, चाहे उसने एक पैसा भी नहीं दिया हो।

साथ ही तहसीलदारों को इस तरह के अख्त्यार दे दिये गये हैं। इन चीजों के फैसले कौन करेगा क्या तहसीलदार ? माननीय अध्यक्ष, में बतादूं कि सभी यह जानते हैं कि कोई तहसीलदार ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के मामलों म वे ईमानदार रहें, शायद एक दो ईमानदार हो सकते हैं। इसीलिए सब के लिए मैं नहीं कहता, वे २-४ भी हो सकते हैं, वरना आम तौर पर इस वक्त तो जो पट्टे वगैरा होते रहे हैं इन तमाम चीजों में ये सब लोग ऐसे लगते हैं कि कम से कम १०००) रुपये रोज की इनकी दूसरी आमदनी हो जाती है। आज यह ऑर्डिनेन्स रिश्वत के बाजार को और खोल देता है। इस ऑर्डिनेन्स से बहुत लोगों की हिम्मत भी खुल जायगी कि यह लीजिए ५०००) रुपये और इसे हमारे एरिया पर लागू कर दीजिए। कइयों ने तो पहुंचना भी शुरू कर दिया है। वहां जाकर तहसीलदार लोगों से कहता है कि यदि पैसा दो तो हम तुम्हारे एरिया पर इस कानून को लागू कर सकते हैं; आज तुम्हें ५०००) हजार रुपये देने पड़ते हैं कल तुम्हें ५००) रुपये ही देने पड़ेंगे तो उसमें से ३०००) हजार हमें दो और डेढ़ हजार तुम कमाओ। तो इस तरह से जहां पर किसानों को फायदा पहुंचाने की सोचते हैं वहां रिश्वतखोरी का खुला बाजार भी शुरू हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अहम मामले सुपुर्द किये जाते हैं तहसीलदारों को; यह तो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। ऐसा आपको हर्गिज नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बताऊं कि इसमें अपील करने का प्रोवीजन सिर्फ कलेक्टर का ही नहीं है। इसके अन्दर बड़े वेग प्रोविजन रख दिया गया है और वह यह है:-

"All rents paid in excess of the maximum rent prescribed under this Act shall be recovered by the tenant from the land-lord on an application being made by the tenant to the Tehsildar in this behalf of the same."

माननीय अध्यक्ष, मैं बताऊं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह इस ऑर्डिनेन्स में यह दर्ज किया गया; जिसका कि कोई मतलब ही नहीं। इसके अन्दर इस तरीके से किरायेदार रेंट पर रखवाली कर सकता है, इसके अलावा यह किसी तरीके की रखवाली करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। इसका एक तो मतलब यह हो सकता है कि इसके लागू होने के बाद एक किसान दरख्वास्त दे कि मैंने वसूली भी मुखिया को दे दी है। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि आज यह लागू होता है तो आज के बाद यह शर्त रहेगी और आज के बाद यह शर्त लागू हो जाती है कि उसमें कोई मियाद नहीं है कि वह तीन साल बाद या पहले दरख्वास्त दे सकता है। वह झूठ बोल सकता है और कह सकता है कि तहसीलदार साहब मैंने अपने लेंडलार्ड को ५०००) रुपये दिए हैं, और दिया उसने एक पैसा भी नहीं। दे दिया हो तो भी कोई बात नहीं, मगर पैसा दिए बिना ही वह दरख्वास्त कर सकता है कि मैंने ५०००) हजार रुपये दिए थे वह मुझे दिला दिए जायं। क्योंकि मयाद का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर ६ महीने की मयाद हो तो उसके लिए सही किस्म का सबूत मिल भी सकता है, लेकिन न पीछे मयाद है न आगे मयाद।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर कहीं 'रेंट एसेसमेंट' (कर निर्धारण) की तरमीम गवर्नमेंन्ट की नहीं रखी गई है । राजस्थान में लाखों करोड़ों बीघा जमीन गवर्नमेन्ट के अन्डर में है जो खामा इन्तजामी कहलाती है । इस खामा इन्तजामी पर ५० साल से उसमें बोअनी होती रही है और मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में सब जगह जहां एक जमींदार अपनी जमीन का किसानों से दो रुपया बीधा लगान लेता है वहां गवर्नमेन्ट ३०) रुपये बीघे का लगान लेती है । अगर इसी तरह से लगान लिया जाता रहा तो वह किसान लूट जायगा, बर्बाद हो जायगा । जहां आप लाखों किसानों को उनकी जमीनें वापस करा रहे हैं, उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं, वहां कम से कम गवर्नमेन्ट जो कुछ बेईमानी करती रही है जो लूट अब तक करती रही है इसको बन्द करना तो निहायत जरूरी है। इसकी कोई जांच नहीं की जाती कि कहां कितनी जमीन है । तो इसकी भी जांच होना बहुत ही जरूरी है ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी लिखा है कि टीनेन्ट अपनी जमीन को किसी सब टीनेन्ट को दे दे तो वह लेन्ड होल्डर माना जाएगा । इस प्रकार तीन व्यक्ति होते हैं १.लेन्डलोर्ड, २.टीनेन्ट और ३.सब-टीनेन्ट। टीनेन्ट सब टीनेन्ट से रेन्ट लेकर लेंडलोर्ड को दे देगा । इसके अलावा टीनेन्ट सब टीनेन्ट से दुगुना से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता । टीनेन्ट रकम इकट्ठी करके लेन्ड होल्डर के पास ले जाता है । इस प्रकार टीनेन्ट जो बीच में रहता है उसको कुछ नहीं मिलता और टीनेन्ट को सब टीनेन्ट होने की हालत में लेन्ड होल्डर मान लिया है तो उसे भी मिलना चाहिये । सब टीनेन्ट टीनेन्ट को देगा और टीनेन्ट ले जाकर लैंडलोर्ड को दे देगा । इस प्रकार टीनेन्ट की किसी प्रकार की पोजिशन नहीं ।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह एक्ट बिलकुल अधूरा और निकम्मा है । जब इस प्रकार के एक्ट दूसरे प्रांतों के लोग पढ़ेंगे तो वे क्या कहेंगे ? वे यही कहेंगे कि क्या राजस्थान की लेजिस्लेचर ऐसी निकम्मी और अन्धी है जो ऐसे निकम्मे एक्ट बना देती है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत कुछ तरमीम की जरूरत है और बहुत कुछ एमेन्डमेन्ट किये जाने चाहिये । ऐसी गलती गवर्नमेन्ट ने की है कि इन सब एक्टों को समय पर लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली में नहीं रखा । इस गलती को उन्होंने मन्जूर किया है और कहा है कि प्रेस के पास बहुत ज्यादा काम होने के कारण यह जल्दी नहीं हो सका । मगर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन १० दिनों में इतने बिल लेजिस्लेचर के सर पर लाद दिये हैं जो नहीं लादे जाने चाहिये । इससे इन पर सोचने व एमेन्डमेन्ट देने का व पूरी तरह से पढ़ने का मौका ही बहुतों को नहीं मिला । चूंकि इस बिल का लाखों आदमियों की जायदाद से सम्बन्ध है इसलिये उन लोगों की जिनसे यह बिल सम्बन्ध रखता है, राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है । हमारा यह फर्ज है और हमको यह

जानना चाहिये कि हमारे टीनेन्ट व दूसरे लोग इस सम्बन्ध में क्या राय रखते हैं । इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इससे कोई अराजकता तो नहीं फैलेगी । मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह ओर्डीनेन्स जब एक्ट बन जाएगा उस समय हमारे राजस्थानी भाई डार्क में पड़ जावेंगे और इसका नतीजा यही होगा कि देश में बहुत अराजकता और खून खराबी फैल जावेगी । क्योंकि कोई आदमी इस चीज को बरदाश्त नहीं करेगा कि उसके पास से २०-२५ बीघा जमीन हो वह भी उसके हाथ से चली जावे और उसके बदले में उसको कुछ भी मुआवजा न मिले ।

एक दूसरी बात और है जिसके लिये उदाहरण देता हूं । एक आदमी देहात का रहने वाला है और दूसरा आदमी शहर में रहने वाला है । दोनों के पास २०-२० हजार रुपया है । देहात वाले ने उस बीस हजार से ५० बीघा जमीन खरीदी जिस पर वह खेती करता है । दूसरी तरफ शहर का रहने वाला है उसने उन्हीं रुपयों से मकान बनाया और उससे आज वह जयपुर में ४००) रुपये माहवार किराये के पैदा कर रहा है; यानि ५०००)रु० सालाना की आमदनी होती है । दूसरी तरफ देहात के रहने वालों के लिये यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके पास सिर्फ ५० बीघा जमीन है और इस एक्ट के बन जाने से उनको क्या मिलने वाला है । जहां तक मैं इस बिल की मन्शा को समझ सका हूं इसका एक उद्देश्य जो है वह यह है कि आमदनी बढ़ाना । आप जानते हैं कि देहातों में रहने वाली गरीब जनता मिडल क्लास जनता है और आज कल देश की लीडरशिप मिडल क्लास के हाथ में है । इसलिये हमें उनको सहूलियतें देनी चाहिये । मगर हम देखते हैं कि जो लोग देहात के रहने वाले हैं उन्हें इस कदर, इस प्रकार के एक्ट बना कर तबाह करना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ भी न मिले । उसका नतीजा यह होगा कि उनका एक बच्चा भी पढ़ाई न कर सकेगा, न नौकर हो पाएगा न लेजिस्लेटिव एसेम्बली का मेम्बर बन सकेगा और अपनी २५-३० या ५० बीघा जमीन को दिन रात जोतता रहेगा । एक्ट में जो गलतियें हैं उनको सुधारा भी जा सकता है और हमें सुधारनी चाहिये । हमें यह सोचना जरूरी है कि जब हम जागीरदारों को, पांच हजार तक के जागीरदारों को जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट के अनुसार छोड़ रहे हैं तो हमें दुःख इस बात का है कि २०-३० या ५० बीघा जमीन वालों को क्यों न छोड़ दें । यदि २०-३० बीघा वालों को नहीं छोड़ सकते तो फिर पांच हजार वाले जागीरदारों को क्यों छोड़ा जाता है । मैं समझता हूं कि जिस समय ५००० हजार के जागीरदारों को छोड़ने का प्रश्न था उस समय एडवाइजर काम करने वाले थे जो सरकार को सलाह देते थे और उन्होंने गलत सलाह नहीं दी और न देना चाहते थे । आज हमारी एसेम्बली बन गई है इसलिये हमें यह देखना है कि जिन लोगों ने हमको अपनी भलाई के लिये वोट देकर यहां भेजा है, जब उन्हें यह महसूस हो कि हम उनकी भलाई नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें तबाह कर रहे हैं तो यह कितनी बुरी बात होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये हमें और सदन के सभी सदस्यों को सोच समझ कर एक्ट बनाना चाहिये । और ५० बीघा के काश्तकार को, जहां तक हो सके, हमको सहूलियतें देनी चाहिये और उसको इस एक्ट द्वारा एग्जेम्प्ट

किया जाना चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि आय अवश्य बढ़ाई जाय और इसके लिये इसको खाम एरिया पर लागू किया जावे । मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी सूरत में इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये शाया करना बहुत जरूरी है । माननीय अध्यक्ष, इन शब्दों के साथ में अपना एमेन्डमेन्ट मूव करता हूं ।

**माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया**:—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मेरे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे और जो उन्होंने संशोधन रखा कि इसे जनमत के लिये प्रचारित किया जावे और पास नहीं किया जावे यह सुन कर मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ और सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बिल पर जो दलीलें दी गई उनको सुन कर हुआ । मैं यह आशा करता था कि वे माननीय सदस्य इस कानून को पास कराने के लिये शायद मुझसे भी ज्यादा तत्परता दिखाते क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर वे यहां आये हैं वह उद्देश्य किसानों के हित का उद्देश्य है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उनको इस बिल की कदर होनी चाहिये थी लेकिन मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ जब कि अंत में जाते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल के पास होने से राजस्थान में अराजकता फैल जावेगी और लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ जावेगी । मैं नहीं समझता कि विरोधी पक्ष की तरफ से यह अराजकता आदि शब्द व बातें कह कर हमारी इस तरह की प्रगति को रोकने के लिये यह हथियार और धमकी काम में ली जा रही है और उस धमकी से हमारी प्रगति रोकना चाहते हैं । मैं इस संबन्ध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि राजस्थान की शांति और व्यवस्था मुश्किल में हो जायगी; जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आया है जैसे जागीरों को लेने का प्रश्न आया तो यही कहा गया कि शांति और व्यवस्था में मुश्किल होगी । मैं समझता हूं कि जो सरकार आज राजस्थान में कायम है वह इस लायक है कि व्यवस्था कायम रहे और भूमि सुधार भी इसके साथ साथ चले । इन दोनों बातों को हमें करना है । हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यहां आये हैं, हम उसे पूरा करेंगे । मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर सरकार, जैसा कि मेरे माननीय सदस्य ने कहा कि खाम लैंड में अपनी लूट जारी रखे और सरकार को इसको रोकने का कोई हक नहीं है; मुझे इस बात को सुन कर खुशी हुई कि जो खाम लैंड में तरीका इस्तेमाल किया गया है उसे वक्ता महोदय लूट मानते हैं । इसे मैं यही तो कहूंगा कि वह लूट चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से सरकार उस लूट को बन्द करना चाहती है और इसलिये यह बिल लाया गया है ।

आपने यह भी कहा कि इस पर विचार करने का मौका नहीं मिला । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें संशोधन आज ही नहीं बल्कि चार दिन पहले से आने शुरू हुए हैं और ९ संशोधन आ चुके हैं अलग अलग सदस्यों के पास पहुंचा होगा तभी तो संशोधन आये हैं, इसलिये यह कहना कि इस पर संशोधन नहीं आये ठीक बात नहीं है । दूसरी बात यह है जो कि माननीय वक्ताओं ने कही है कि वह यह है कि जो अब तक इस भूमि के जरिये अपनी आजीविका चलाते थे उनका क्या होगा ।

मैं इस प्रश्न पर कुछ दिनों से बराबर सोच रहा हूं। जहां तक राजस्थान पब्लिक का सवाल है भूमि ही उसकी आशा है। भूमि के प्रश्न को हम दूसरे इलाकों की तरह हल नहीं कर सकते। हमारे यहां भूमि का ही प्रोफेशन समझा जाता है। काश्तकारों की तादाद हमारे यहां बढ़ती जा रही है इस वजह से यह आवश्यक है कि उनके लिये भूमि का इन्तजाम किया जायं। कुछ लोग जो सम्पन्न हैं वे भी भूमि का कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। कुछ मध्यम वर्ग के लोग भी खेत जुतवाने और किसान बनने की फिराक में रहते हैं। हमें कानून को मजबूत करना होगा और सामाजिक आधार पर भूमि का बंटवारा करना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बारे में जल्दी से जल्दी इस को बात को लाऊंगा कि भूमि का वितरण किस तरह से हो जिससे कि जिस आदमी के पास ज्यादा भूमि है उसे किस तरह किसानों को दिलाई जावे। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या हो इस बात की ओर निश्चितरूप से सोच समझकर हमें चलना होगा। जो किसान खेती करते हैं उनको जमीन का पहला हक है। जिसके पास काफी मात्रा में जमीन है और मालिक बना हुआ है, काश्त नहीं करता और किसी खास पेशे को चला रहा है वह एक तरह से किसानों का शोषण कर रहा है। इन सब पहलुओं पर पर विचार करके कि हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिये, हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। किसानों को राहत देने के लिये ही प्रोटेक्शन ओफ टिनेन्ट्स एक्ट पास किया है। बहुत सी जगह गड़बड़ियां हुई। मैं मानता हूं कि कानून की वजह से भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन सरकार शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये कदम उठायेगी। लेकिन कुछ न किया जाना गलत चीज होगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसमें एक धारा है कि सरकार जहां जहां इसे लागू करना चाहेगी वहां वह लागू करेगी। इसके बारे में काफी जानकारी की गई है। वेंकटाचार की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें भी इस बात का हवाला मिलता है। हमने भी कुछ जानकारी प्राप्त की है। इन सारी बातों को देखकर जब हम इस स्थिति पर आये कि निश्चित तौर से कदम उठा सकते हैं और इससे किसानों को राहत पहुंचाई जा सकती है तभी इस बात को लागू करने के लिये इसे यहां रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसकी कुछ धाराओं का संशोधन करना आवश्यक है, यदि वे जब से इसकी कोपी उनके पास पहुंची है तब से अपना ध्यान इस ओर केन्द्रित करते तो अब तक संशोधन ला सकते थे। ठीक और निश्चित बात को मानने के लिये सरकार सदैव तैयार रही है और रहेगी। यह कहना कि जल्दी में पेश किया गया है इसलिये संशोधन नहीं आये, ठीक नहीं है। मुझे शक होता है कि इस बारे में माननीय मित्र ने शुरू से विचार कर लिया था कि इस पर हाउस में विचार नहीं किया जाय। जब कि इस पर ९ एमेन्डमेन्ट आये हैं तो कैसे कहा जाय कि जल्दी में एमेन्डमेन्ट नहीं आ सकते थे। इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से इसमें डिले (देरी) होगी। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे लाखों मनुष्यों को राहत मिलने वाली है; इसलिये इसे पास करना आवश्यक है। सरकार की तरफ से जो लगान की दर है उससे कई गुना अधिक वसूल किया जाता है। हमने सब किसानों से बराबर दर वसूल करने के लिहाज से छठा हिस्सा बांटे

का रखा है। हम इस पर अमल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई उनसे अधिक वसूल नहीं करे। माननीय सदस्यों का इस बात का शक करने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार और नीति काम में लाना चाहती है और दूसरे लोगों के लिये दूसरी नीति काम में ली जाती है। इस वक्त जो व्यक्ति किसान का काम करता है उससे राजस्थान के कई हिस्सों में ५) रु० बीघा लगान के रूप में लिया जाता है लेकिन कई लोग १५०) रु० बीघा तक वसूल कर लेते हैं। यह कैसे उचित माना जाय जब कि सरकार की दर ५) बीघा ही है। हम इस विषमता को रोकना चाहते हैं। जो रेक रेन्टिंग इस समय चल रहा है उसे रोकने का हमारा उद्देश्य है। हम यह नहीं चाहते कि जिनको लगान वसूल करने का अधिकार है वे मनमाने ढंग से जितना चाहें वसूल करें जब कि हमने काइन्ड में लगान वसूल करने वालों के लिये कानून बनाया है कि छठे हिस्से से अधिक वे नहीं ले सकते। तो नैतिक दृष्टि से यह हमारे लिये आवश्यक है कि जहां रेक रेन्टिंग है वहां के लोगों को भी राहत पहुंचाई जाय। यह सिलसिला अपने यहां नया ही जारी नहीं किया जा रहा है बल्कि यू० पी०, पंजाब आदि प्रान्तों में पहले से ही मौजूद है और अधिक वसूल करने की मुमानियत है। वैसे तो दुगने से ज्यादा वसूल करने की पहले से ही मुमानियत है। हम बराबर अध्ययन करके जहां जहां पर हमारे सामने स्पष्ट बात होगी उसको लायेंगे, करेंगे। जब लाखों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो यदि उस कानून को हम पास करें तो वह उपयुक्त ही होगा। मैं तो यह चाहता था कि दूसरे पक्ष के सदस्य भी उपस्थित होते, क्योंकि यह बिल किसानों के हित में ही था। मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होता कि वे यहां उपस्थित होते और हम सब मिलकर इस चीज को जल्दी से जल्दी विचार करके, आज ही विचार करके पास करते। मैंने जैसा पहले अर्ज किया था उसी प्रकार अब भी मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गोपीलाल यादव: इस पर कुछ और बोलना चाहते हैं। मेरे मित्र श्री ईश्वरसिंह को दो चार बातें कहनी हैं।

श्री ईश्वरसिंह:—माननीय अध्यक्ष, मैं भी आप लोगां स्यु अर्ज कर दूं। इठे अंग्रेजा रा राज हा। और १५ तारीख रे दिन वे चलया गया और अब एक भी अंग्रेज दीखे नहीं। इसी तरह सूं अठे कोई ५६२ राजा बतावे हा उन्होंने भी समझा के अंग्रेज चल्या गया तो इस तरह सूं अपणे को भी बोरिये बिस्तर गोल कर लेना चाहिजे। अब बांका बेटा बेटी जो जागीरदार है वो इस तरह सूं सोचे नहीं। अब जागीरदार हकदार नहीं रहया है। तो अभी श्री गोपीलालजी ने बहस में कहा था कि जिके पास ५) ४) रु० है वाना जमीन खरीद ली और उणी जमीन पर आपके जचे जिको हासिल ले। किसान के पास तो विचारा के पास खर्च के वास्ते ही पैसा नहीं था तो जमीन कहां से खरीद ले। लेकिन वे लोग जिके पास पैसा है बीने जमीन खरीद ली और फायदा में दूसरे काश्तकार को दे दी। वह काश्तकार ५, १० बरस से काबिज हैं उनका कोई भी दूसरा जरिया नहीं है सिवाय काश्त के। आज यदि जमीन उनसे छीन लें तो दुनिया में उनके लिए दूसरे कोई काम नहीं है तो मेरी राय है कि यह कानून पास कर दिया जाय।

जिकी चीज होने वाली है वह तो होगी । मेरे मित्र जागीरदारों को यह चाहिए कि वह जो हवा आयेगी वह सबको बहा ले जायगी। अध्यक्ष जी, मुझे मन्जूर है कि जो कानून सरकार बनावे है वह बना सके है । आज जो २० दिन से बहस चल री है, यह जो कानून हो कि जो काश्तकार उस पर २ साल से काबिज हो वह उस पर काबिज रहना चाहिए, क्योंकि काश्तकार तो सदा से जो काबिज होता है पहले ही से काबिज होता है जन्म से ही । काश्तकार का यह जन्म का हक है कि ५, ७ बरस काश्तकार ने काश्त की कि वह हकदार बन गया । यह ठीक है । सरकार जो मन्जूर कर ले यह होने की बात है । और सच्चाई की बात तो आ है कि जो तहसीलदार को यह काम सम्हलाया जाय तो वह उसके लिए एक बहुत बड़ी रिश्वत का द्वार खुल जाय, इयों की तिरे की बातों सरकार नहीं करे कि एड़ो कोई कानून बनावे, जैसे कि नुक्ता को कानून बनायो तो क्या हुयो कि पहले नुक्ता करे पटेल को, पीछे नुक्ता करे थानेदार को, और पीछे नुक्ता करे कोर्ट को, और पीछे नुक्ता करे आपणा बाप को। इस तिरे का कानून राज को नहीं बनाना चाहिए । कानून जो बनावे तो ठोस कदम उठावे ।

६० साल सूं काश्तकार कांग्रेस से या सुन्या करता हा कि जो कानून बनावांगा वह थारा फायदा को बनावांगा । हरेक आदमी जान सके कि हरेक काश्तकार का हक है। इसका फायदा किसान को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कानून जो है वह पास कर दिया जाय ।

श्री छोटूसिंह:--अध्यक्ष महोदय, रेन्ट कन्ट्रोल बिलजो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है वह दरअसल आज से तीन साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था । बहुत दिनों से हम लोगों की इस पर नजर थी कि कब राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित हो और इस तरह का कोई कानून बने जिससे कि काश्तकारों को वास्तव में राहत मिले सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर हमेशां से शहरी लोगों का ऊपर हाथ रहा है और शहरी लोगों की आवाज गवर्नमेन्ट के पास जल्दी ही पहुंच जाती है जिसके परिणामस्वरूप मकानों संबंधी तो रेन्ट कन्ट्रोल आज के तीन ३ साल या २॥ साल पहले पास होगया लेकिन इस तरीके का कोई कानून जिससे कि काश्तकारों को वास्तविक राहत मिल सके वह किसान जो १०-१५ गुना जमा देते हैं और जिनको अच्छी तरह से बिस्वेदार और जागीरदार एक्स्प्लोइट (शोषए) करते हैं उनकी राहत के लिए कोई कानून नहीं था । आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने राजस्थान सरकार ने एक ऐसा कानून प्रस्तुत किया है जिसके तेहत काश्तकारों को वास्तविक राहत मिलेगी । इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

अक्सर यह देखने में आया है कि जो प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरीज़ होते हैं वह हमेशा अपने आपको प्रोग्रेसिव ( प्रगतिशील ) होने का दम भरते हैं । जब २ कोई प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) कानून आता है तो वह उसमें किसी न किसी टेकनीकेलिटी की वजह से....विचार जारी

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, जो गन्दे शब्द मेरे मित्र कह रहे हैं, वह ख्वाम–ख्वाह आक्षेप कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता हूं।

श्री छोटूसिंह:–आइ एम नाट रेफरिंग टू ए पर्टिक्यूलर मेम्बर। दिस इज ए जनरल टेन्डेन्सी आफ दीज रिएक्शनरीज अन्डर दी नेम आफ प्रोग्रेसिवनेस। इट इज ए जनरल प्रिन्सिपल। आइ एम रेफरिंग टू दी प्रिन्सीपल।

श्री गोपीलाल यादव:—रिश्वतखोरी का मतलब प्रोग्रेसिव नहीं होता है।

श्री छोटूसिंह: – ( विचार जारी रखते हुए ) इस तरह की बात हमेशा किया करते हैं। प्रोग्रेस के नाम से हमेशा इस तरह के कानूनों को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के नाम पर, पब्लिक इन्फर्मेशन के नाम पर डिले (देरी) किया करते हैं। इस इन्तजार में रहते हैं कि किसी तरह से ऐसे कानून पास नहीं हों। मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे खतरनाक आदमी होते हैं जो अपने आपको किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधि कहते हैं और वास्तव में उनके दिल में किसानों और मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ......(विचार जारी)

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, क्या माननीय सदस्य को इस तरह की गन्दी बातें कहने के लिए इजाजत दी जाती रहेगी।

माननीय चेयरमेन:–(श्री माधव प्रसाद एन. पंडित)सदस्यों को कृपा करके अनपार्लियामेन्ट्री लेंग्वेज (असंसदीय भाषा) नहीं बोलना चाहिए। शान्ति और संतोष से काम करना चाहिए। ......

श्री छोटूसिंह:–मुझे विरोधी दल के एक सदस्य से यह सुनकर कि यह कानून किसानों को राहत नहीं देता है बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो कहता हूं कि इससे अच्छा और क्या कानून हो सकता है। इससे पता चलता है ये किस प्रकार इसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि ऐसे कानून पास करें जिससे किसानों को वास्तविक रूप से राहत मिल सके। इस संबंध में इस सदन के सामने बहुतसी दलीलें पेश की गईं। एक दलील तो यह है कि आज के जमाने में जब की करप्शन फैला हुआ है ऐसे कानून पास करना कहां तक उचित होगा? माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि जब तक करप्शन नहीं मिटे तब तक क्या इस प्रकार के कानून पास नहीं किये जा सकते? क्या हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिये? क्या हमें इस प्रकार के कानून पास नहीं करने चाहिये जिससे वास्तविक रूप से किसानों को, मजदूरों को राहत मिल सके।

माननीय सदस्य ने इस बारे में यह कहा कि जिनके पास कम होल्डिंग्ज हैं उनको किसी तरह राहत नहीं देता है वे वेस्ट हो जायेंगे। काश्तकारों को वह जमीन दी जाती है जो मालिक जमीन के पास सरप्लस होती है। किसीको हक नहीं

कि किसी भी किसान और किसी भी मजदूर को जो रात दिन काम करता है और अपनी खून की कमाई से पैसा प्राप्त करता है बीच में उसको परेशान किया जावे । इस बीच इस प्रकार का एक्सप्लोइटेशन किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । आज कन्ट्रोल की बात है इससे हमें वास्तविक सन्तोष नहीं । हम तो वह दिन देखना चाहते हैं कि जब जमीन का मालिक वही होगा जो जमीन को काश्त करता है । यह बीच की बात है समझोते की सी बात है; इससे वास्तविक तसल्ली तो नहीं होगी । जहां तक गवर्नमेन्ट का सम्बन्ध है जो डेफीनेशन क्लाज है, डिफाइन किया गया उसमें अच्छी तरह से सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि काश्तकारान को प्रोटेक्ट किया जाय; किसी भी हालत में उनको भूमि दे दी जायगी । मैं आपका ध्यान, इसके अन्दर जो क्लाज एड किया गया है अरबन एरिया के पास की जमीन के सम्बन्ध में, दिलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि वह हरेक के साथ ब्रदरली ट्रीटमेंट करें; चाहे वह शहर के पास काश्त करते हैं । लेकिन फिर भी हम इस बिल का स्वागत करते हैं । सारी चीजें मिला कर यह कहा जा सकता है कि यह कानून प्रोग्रेसिव कानून है । मैं इसका समर्थन करता हूं । इस बिल के अन्दर कई आदमी हर तरह से रोड़े अटकाते हैं । कई एक कहते हैं कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय और कइयों का कहना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाय । आखिर यह बात क्या है ? मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि अगर जागीरदारों के लिये यह बिल हो तो अच्छी बात होती । मैं बड़ी अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि जागीरदारों के फायदा पहुंचाने वाले न होते तो वे अपने सीट पर नजर नहीं आते । फर्क इतना ही है कि ऐसे जागीरदारी तत्वों के पास रहकर इसका विरोध करना चाहते हैं इसलिये सदन के सामने मैं यह अर्ज करूंगा कि. . . .

**श्री गोपीलाल यादवः**--माननीय सदस्य को जो बोलने की इजाजत दी गई उसका मतलब यह तो नहीं की हाउस की परम्परायें हैं उसको तोड़ते जाएं । बगैर बात आक्षेप पर आक्षेप किये जा रहे हैं । उनको यह समझ में आना चाहिये कि पब्लिक की दोनों तरफ की बातें हमें रखनी चाहिये । हमारे क्षेत्र में हर प्रकार के आदमी हैं उनका पाइन्ट आफ व्यू रखना हमारा कर्तव्य है न कि हम अपने स्वार्थ की बातें रखें । वे आक्षेप पर आक्षेप किये जा रहे हैं, हाउस के अन्दर अगर इसी प्रकार वे करते रहे तो हमारे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं होगा कि हम इस हाउस को छोड़ कर चले जायं ।

**श्री छोटूसिंहः**--न मेरा किसी पर आक्षेप है, न मेरी ऐसी मंशा ही है और न मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं कि जिससे किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा पर हमला हो । वास्तविक तथ्य है जो सत्य है कटु होने पर भी रखना पड़ता है ।

**माननीय चेयरमेन(श्री माधवप्रसाद एन. पंडित)ः**--किसी भी अनुपस्थित सदस्य पर आक्षेप नहीं करना चाहिये साथ ही यह भी होना चाहिये कि सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, सत्यं शिवं सुन्दरम् । सत्य भी बोलना चाहिये वह भी प्रियकारी हो । इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।

श्री छोटूसिंह:–माननीय अध्यक्ष, मैं किसी भी अनुपस्थित सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि समय भी कुछ ज्यादा हो गया है मैं कुछ ज्यादा न कहते हुए इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये रेफर नहीं किया जाय। पब्लिक की राय तीन साल से ली जा रही है। यहां तक कि अलवर–भरतपुर जिलों में हजारों ही नहीं लाखों व्यक्तियों को इसका ज्ञान है, उन्हीं की आवाज का यह नतीजा है कि गवर्नमेन्ट द्वारा यह कानून की चीज आ रही है। पब्लिक ओपिनियन तीन साल से ली जारही है इसलिये यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता। मेरी प्रार्थना है कि सको जल्द से जल्द पास किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, चूंकि मेरे मित्र ने कई बातें कही हैं इसलिये मेरा बोलना जरूरी है। मुझे कुछ बातें बतलानी हैं।

माननीय चेयरमेन (माधवप्रसाद एन. पंडित):--आप सिर्फ पांच ही मिनट बोलें।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, सब से पहली बात यह है कि बारबार जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिनका नतीजा यह होगा कि हाउस में लेजिस्लेचर का काम नहीं हो सकेगा। हाउस अगर उस तरह का काम करेगा जसा कि बाजारों में लोग आदमियों को इकट्ठा करते हैं और सेन्टीमेटल स्पीच देते हैं, तो काम हो लिया। कई मित्रों ने बताया कि इसके लिये हमें ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा जिससे उनको मालूम हो सके कि हाउस के अन्दर किस तरह की बातें कहनी चाहिये और दूसरे आदमियों को किस तरह सुनना चाहिये। मैं जो आवाज यहां कह रहा हूं वह मेरी नहीं, यह उन काश्तकारों की है जिनके पास पचास बीघा जमीन है; आप उनकी तरफ देखें। हरेक आदमी अपना दृष्टिकोण रखता है। मैं बतादूं कि जिसके पास पचास बीघा जमीन है ताज्जुब करेंगे मेरे पास को सारी जमीन चमारों को दे दी गई सिवाय सरकारी लगान के। आज तक मैंने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। हमें तो उन लाइन्स पर चलना है लेजिस्लेचर के कानून बनाने के नियम को तोड़ना नहीं चाहिये। कल जो मेरे मित्रों ने टीनेन्ट्स एक्ट पासकिया वह छः महीने से सरक्यूलेट हो रहा था मैंने उसे लाइब्रेरी में जाकर देखा और अमेन्डमेंट दिया। छः महिने से सरक्यूलेट हो रहा है उसको फिर कल सरक्यूलेट किया गया। इसका संबंध टिनेन्ट्स एक्ट से है। इसको साल भर सरक्यूलेट कर रहे हैं कल फिर सरक्यूलेट कर देते हैं। अहम मामले हैं उन पर हर तबके के लोगों को अपनी राय जाहिर करने का मौका देना चाहिये। जिस दिन माननीय मित्र की अलवर की बीसियों दुकानें हैं वे छीनी जायंगी तब पता चलेगा। आपको ई हमको, सबको, यह चीज देखनी है कि चूंकि इसके अन्दर बतलाई और रेन्ट कन्ट्रोल शहर के अन्दर लागू है।

माननीय चेयरमेन (श्री माधव प्रसाद एन. पंडित):--आप कहे हुए शब्दों को रिपीट नहीं करिये।

**श्री गोपीलाल यादवः**—इसके अलावा में बताना चाहता हूं कि जिस जगह पर जमींदार हैं वहां पर तो वह उसी प्रकार से लगान वसूल करते रहेंगे। करौली में ४) रुपये बीघा था और वहां किसानों पर जुर्म होता था। वहां आज भी किसानों पर जुर्म होता रहेगा, वहां का जमींदार उससे ४) रुपये बीघा लेलेगा, कहीं लेंडलॉर्ड २० गुना लेगा जहां पहले लूट थी अब भी जारी रहेगी। मैं माननीय महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कई कानून के डिफेक्ट हैं, हमें सोचकर कानून बनाना चाहिए, ऐसे अहम कानून बनाने से पहले यदि पब्लिक की राय लेलें तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।

**माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रशाद एन. पंडित)**:— आपका समय होने को आ गया है, जो कुछ कहना हो जल्दी से कहें।

**श्री गोपीलाल यादवः**—अगर आप कहें कि मैं नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा।

**श्री मथुरादास माथुरः**—अध्यक्ष महोदय, एक दफे जब कि क्लोज २ का मोशन मूव हो चुका है तो किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है, फिर भी आपने इजाजत दी तो इसके मायने यह नहीं होते कि इनको अधिक बोलने का अधिकार है।

**माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित)**:—बहस खत्म हुई। अब में वोट के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्युलेट किया जाय।

( प्रस्ताव अस्वीकृत )

**श्री गोपीलाल यादवः**—माननीय अध्यक्ष, में अपना दूसरा अमेंडमेंट यह मूव करना चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय; उसके नाम में अभी पेश करता हूं।

**माननीय चेयरमेन श्री (माधवप्रसाद एन. पंडित)**:--यह अब नहीं हो सकता।

**श्री गोपीलाल यादवः**--यह मेरा अधिकार है और यह किया जाय।

× × × ×

**माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित)**:—रूलिंग दे दी गई है।

**श्री गोपीलाल यादवः**—

× × × ×

( श्री गोपीलाल यादव हाउस के बाहर चले गये )

**माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित)**:—इस सम्बन्ध में जो दूसरे एमेन्डमेन्ट आये हैं उन्हें अब लिया जाता है।

( विश्राम )

---

× Expunged by the order of Chair.

श्री छोटूसिंह अब अपना निम्नलिखित एमेन्डमेन्ट पेश करेंगे:–

"Sub-Clause IV of Clause 2, definition of Urban area be deleted".

Shri Chhotu Singh:--I do not want to move the amendment.

माननीय चेयरमेन(श्री माधव प्रसाद एन. पंडित):--श्री छोटूसिंह अपना एमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहते हैं। अतः इसे मूव नहीं करने के सम्बन्ध में हाउस अपनी राय दे।

(स्वीकृति दी गई)

श्री छोटूसिंह:--में अपना सशोधन वापिस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:--अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि निम्नलिखित क्लाज २ स्वीकृत किया जाय।

"2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires—

(i) "Cash-rent" means whatever is payable exclusively in cash on account of the use or occupation of agricultural land or on account of any right in such land;

(ii) "Landholder" means the person to whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and includes, in the case of a sub-lease, the tenant-in-chief so subletting;

(iii) "Tenant" means the person by whom rent, is, or, but for a contract express or implied, would be, payable and, except where the contrary intention appears, includes a sub-tenant but does not include a tres-passer.

(iv) "Urban area" means any defined area consisting of abadi as well as agricultural lands, the population of which is 15,000 or more.

( स्वीकृत )

Clause 2 is added to the Bill.

माननीय चेयरमेन ( श्री माधवप्रसाद एन.पंडित ):–अब श्री रामजीलाल यादव अपना निम्नलिखित संशोधन पेश करेंगे।

"In sub-clause (1) of clause 3 after the words 'on such holding,' the following words be added:—

'Or exceeding the Cash rent fixed under clause 4 of this Act'."

श्री रामजीलाल यादव:–मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–अध्यक्ष महोदय, जो अमेण्डमेन्ट अभी पेश किया गया है उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। किन्तु शब्द "exceeding" जो अमेण्डमेन्ट में आया हुआ है वह मुझे स्वीकार नहीं क्योंकि:–

A motion or amendment may not be moved in a form different from that in which it appears on the notice paper unless the Speaker in his discretion permits it to be moved in an altered form.

As such in sub-clause (1) of clause 3, after the words "on such holding" the following words may be added:—

"or the cash rent fixed under clause 4 of this Act."

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):–मैं "exceeding" वर्ड को अमेण्डमेन्ट से हटाने की स्वीकृति देता हूं।

श्री रामजीलाल यादव:–मुझे कोई ऐतराज नहीं।

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):–चूंकि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है अतः हाउस इस संबन्ध में अपनी राय दे।

(संशोधन स्वीकृत हुआ।)

(विराम)

माननीय चेयरमेन(श्री माधवप्रसाद एन. पंडित): अब श्री छोटूसिंह इस क्लाज के सम्बन्ध में अपना अमेण्डमेन्ट पेश करेंगे।

श्री छोटूसिंह:–श्रीमान् मैं इस संशोधन को मूव करना नहीं चाहता।

माननीय चेयरमेन(श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):–श्री छोटूसिंह अपना अमेण्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहते हैं। अतः इसे मूव नहीं करने के सम्बन्ध में हाउस अपनी राय दे।

(स्वीकृति दी गई)

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित)अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि संशोधित क्लाज ३ जो इस प्रकार है बिल का अंग स्वीकार किया जाए।

3. *Maximnm Recoverable as Cash Rent*:—(1) Notwithstanding any custom, usage or practice to the contrary or anything contained in any law, enactment, rule, decree, order, agreemnent or instrument, no land-holder shall recover or be deemed entitled to recover as cash rent for any holding in an area to which this Act for the time being applies, an amount exceeding twice the land revenue assessed on such holding or the cash rent fixed under clause 4 of this Act;

Provided that widows, minors, disabled persons and students of the recognised institutions below the age of 21 years shall be entitled to charge rents to the extent of three times the assessed land revenue from their tenants if the holding of such person does not exceed 6 bighas of irrigated or Dehri land and 10 bighas of Barani land or 25 bighas of Barani land in all.

*Explanation*:—(One bigha of irrigated land or Dehri land for the purposes of this calculation shall be deemed as equivalent to 3 bighas of Barani land);

Provided also that for a holding in an urban area such rent may extend to three times the land revenue assessed thereon.

(2) The maximum laid down in sub-section (1) shall not operate to effect an increase in the amount of the rent recoverable from a tenant who shall have at the commencement of this Act been paying rent at a scale lower than such maximum.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधित क्लाज ३ बिल का अंग स्वीकार किया गया।

माननीय चेयरमेन:–( श्री माधवप्रसाद एन. पंडित ):–अब क्लाज ४ पर श्री रामजीलाल यादव अपना निम्नलिखित संशोधन पेश करें जो इस प्रकार है।

In clause 4, the heading "conversion of kind rents into Cash Rents" be substituted by "fixation of Cash Rents, in unassessed areas".

श्री रामजीलाल यादव:–मैं अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहता हूं।

माननीय चेयरमेन(श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):–श्री रामजीलाल अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहते हैं। अत: इस पर राय दी जाए।

(वापिस लेने की आज्ञा दी गई)

श्री रामजीलाल यादवः--मैं अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं ।

श्री छोटूसिंहः--श्रीमान मैं अपना निम्नलिखित एमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहता हूं।

In Clause 4, the heading "conversion of kind Rents into Cash Rnts" be substituted by "Fixation of Cash Rents."

मनानीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):--श्री छोटूसिंह अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहते हैं। अतः इस पर राय दी जाए ।

(वापिस लेने की आज्ञा दी गई)

श्री छोटूसिंहः--मैं अपना एमेन्डमेन्ट सदन की आज्ञा से वापिस लेता हूं।

माननीय चेयरमेन श्री माधवप्रसाद एन. पंडित:--श्री रामजीलाल यादव अपना निम्नलिखित एमेन्डमेन्ट मूव करें।

In Clause 4, the first sentence be substituted by the following sentence: "In unassessed areas to which this Act is made applicable, the Tehsildar shall on his own motion, or on application being made to him in this behalf fix cash rents which shall be double the assessed revenue rates in the adjoining settled villages for similar soil classes."

श्री रामजीलाल यादवः--श्रीमान्, मैं अपना एमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):--श्री रामजीलाल अपना एमेन्डमेन्ट मूव करना नही चाहते अतः इस पर राय दी जाए।

(वापिस लेने की आज्ञा दी गई)

श्री रामजीलाल यादवः--मैं सदन की आज्ञा से अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

माननीय चेयरमेन श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):--अब श्री छोटूसिंह अपना निम्नलिखित एमेन्डमेन्ट मूव करें :

In Clause 4, the words "on the basis of" be deleted and after the words "fix cash rents" the words "not exceeding double the" be inserted.

श्री छोटूसिंहः--मैं अपना एमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):--श्री छोटूसिंह अपना एमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहते अतः इस पर अपनी राय दी जाए।

(वापिस लेने की आज्ञा दी गई)

श्री छोटूसिंह:—मैं सदन की आज्ञा से अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

माननीय चेयर मेन श्री (माधवप्रसाद एन. पंडित):—क्लाज ४ के सभी एमेन्डमेन्ट वापिस ले लिये गये हैं अत: सदन के सामने अब प्रश्न प्रस्तुत है कि इस क्लाज ४ को जो इस प्रकार है बिल की धारा स्वीकार किया जाए।

4. *Conversion of kind Rents into each Rents*:—In areas to which this Act is made applicable the Tehsildar shall on his own motion, or on application being made to him in this behalf fix cash rents on the basis of assessed revenue rates in the adjoining settled villages for similar soil classes. The rates so fixed shall be announced in the village and posted at a conspicuous place in the Tehsil headquarters and village Panchayatgrah. Appeals against orders of the Tehsildar shall be heard and disposed of by the Collector and shall be filed within a period of 30 days from the date of the order. The order of the Colleetor shall be final.

( प्रस्ताव स्वीकृत हुआ )

क्लाज ४ बिल का अंग स्वीकार किया गया।

माननीय चेयरमेन (श्री माधवप्रसाद एन. पंडित):—अब श्री कपिलदेव क्लाज ५ पर निम्नलिखित संशोधन पेश करें:—

Clause 5of the Bill be deleted and the following be substituted in its place:—

"The provisions of Clause 4 of this Act shall apply to those areas only which have been surveyed and for which circle rates of rent have been assessed".

श्री कपिलदेव अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष, मैं इसके मुतल्लिक यह कहूंगा कि जहां कहीं भी यह एक्ट लागू किया जावेगा वहां रेन्ट केश के सिवाय काइन्ड में नहीं लिया जावेगा। इससे अभी जो राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट रेग्यूलेटिंग बिल पास किया गया है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जिस जिस जगह यह एक्ट लागू होगा वहां केश के सिवाय काइन्ड में लगान नहीं वसूल किया जावेगा। इसलिये यह मौजूदा क्लाज ५ जो पेश किया गया है वह उस रेन्ट रेग्यूलेटिंग बिल से विरुद्ध है इसलिये हमको कोई ऐसा कानून पास नहीं करना चाहिये जो हाल ही में बने हुए कानून के विरुद्ध हो। इसलिये मैंने अपना यह एमेंडमेंट पेश किया है और मेरी यह प्रार्थना है कि इस एमेंडमेंट में से "ओफ रेन्ट" के शब्द हटा दिये जावें।

इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जब किसानों को यह हुक्म दे दिया जावेगा कि तुम केश या काइन्ड, किसी में भी लगान दे सकते हो तो किसान यही सोचेगा कि काइन्ड में ही क्यों न दिया जाए। इससे किसान परेशानी से बचने के

लिये काइन्ड में लगान अदा करेगा और सरकार को परेशानी होगी। उसको काइन्ड से केश में बदलवाने की इसके लिये सरकार के पास इतना स्टाफ नहीं है कि इस काम को करे। इसके साथ साथ इस एक्ट के लागू होने से राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्यूलेटिंग एक्ट भी बेकार हो जावेगा। इसलिये मेरी गुजारिश है कि मौजूदा सेक्शन ५ को हटा कर सेक्शन ४ का फायदा उनको दिया जाना चाहिये। इसलिये मैंने जो एमेन्डमेंट मूव किया है उसमें शब्द "ओफ रेन्ट" को हटा देने से ऊपर कही गई सब प्रकार की दिक्कतें रफा हो जावेगी और काश्तकारों को भी राहत पहुंचेगी। इसलिये मुझे यह इजाजत दी जावे कि मेरे एमेन्डमेंट से शब्द "ओफ रेन्ट" हटा सकूं।

I may be permitted to put my amendment as under:—

"The provisions of Section 4 of this Act shall apply to those areas only which have been surveyed and for which circle rates have been assessed."

ओफ रेन्ट के हट जाने के बाद यह एक्ट उन एरियाज पर भी लागू हो सकेगा जहां रेन्ट काइन्ड में लिया जाता है। अलवर, भरतपुर आदि में जो प्रचलित सिस्टम है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इस एमेन्डमेंट को मंजूर करेंगे और इसमें से "ओफ रेन्ट" शब्द हटाने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन)

**Hon'ble Speaker**:—You have moved to delete the words 'of rent'?

**Shri Kapil Deo**:—Yes Sir, I have moved.

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सम्मुख प्रश्न यह प्रस्तुत है कि श्री कपिलदेव अग्रवाल का संशोधन, शब्द "ओफ रेन्ट" को हटा कर स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

अब प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ५ बिल में अंग रूप से स्वीकार हो।

(स्वीकृत)

**Hon'ble Speaker**:—Clause 5 as amended as under, is added to the Bill:—

"The provision of Section 4 of this Act shall apply to those areas only which have been surveyed and for which circle rates have been assessed."

(विराम)

The motion is that clause 6 which is as under be added to the Bill:—

"6. *Refund of excess rent*:—All rents paid in excess of the maximum rent prescribed under this Act shall be recovered by the tenant from the land-lord on an application being made by the tenant to the Tehsildar in this behalf of the same."

(विराम)

So the question is that clause 6 stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

( स्वीकृत )

Clause is added to the Bill.

(विराम)

The question is "That the Title and the enacting formula stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

The Title and the enacting formula are added to the Bill.

**Hon'ble Shri Mohanlal Sukhadia.**—I beg to move that the Bill be passed.

**Hon'ble Speaker.**—The question is that the Bill be passed.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The Bill is passed.

(विराम)

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Ram Karan Joshi, a member of the Legislative Assembly for remaining absent during all the meetings of this House for all this period?

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The permission to remain absent is granted.

(विराम)

Now the House is adjourned *sine die.*

(So the House was adjourned *sine die at* 12—30 P.M.)

सवाई मानसिंह टाउन हॉल,
जयपुर।
२४ अप्रेल, १९५२

**मनसाराम पुरोहित,**
सचिव,
विधान सभा, राजस्थान।

———